भारतीय जनता पार्टी

सुशासन
विकास
सुरक्षा

घोषणा-पत्र

लोकसभा चुनाव

2009

प्रस्तावना

विश्व की प्राचीनतम और जीवंत सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता का स्थान अप्रतिम है। भारत का न सिर्फ एक महान अतीत और अत्यन्त प्राचीन इतिहास है, वरन् लोग मानते हैं कि यह एक विराट सम्पदा और ज्ञान से युक्त देश है। भारत को निरन्तर विदेशी हमलों और गुलामी का सामना करना पड़ा है। इसके कारण भारत का गौरव तथा इसकी अभूतपूर्व उपलब्धियों को धक्का लगा है। वे भारतीय, विशेषरूप से अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली में पढ़े–लिखे लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता की महानता ही नहीं खो बैठे हैं, बल्कि वे अपनी तकनीकी उपलब्धियों तथा विपुल प्राकृतिक संसाधनों से भी दृष्टि हटा बैठे हैं।

इतिहास साक्षी है कि भारत एक अपार वैभव का देश था। ईश्वर ने इसे शस्य श्यामला, सुजलां सुफलाम् धरा का वरदान दिया है। दुनिया में भारत के किसानों को सर्वोत्कृष्ट कृषि विशेषज्ञ माना जाता था। चौथी शताब्दी ई0पूर्व से 19वीं शताब्दी के आरम्भ तक इन यात्रियों के वृत्तांत बताते हैं कि विश्व हमारी कृषि समृद्धि देखकर अचम्भित रह जाता था। तंजौर शिलालेखों (900–1200 ई0) और रामनाथपुरम शिलालेखों (1325 ई0) के रिकार्ड से पता चलता है कि यहां प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन धान की पैदावार होती थी। अतः आवश्यक है कि भारत पुनः उस कृषि तकनीकी को खोजे जिसमें हम अपनी बुद्धि और कृषि दक्षता का प्रयोग करते थे जिससे हमारा देश खाद्य के भण्डार से परिपूर्ण रहता था।

भारतीय अर्थव्यवस्था भी उतनी ही समृद्ध थी जितनी हमारी कृषि। मैगस्थनीज से लेकर फाह्यान, ह्वेनसांग तक सभी विदेशियों ने भारत की भौतिक समृद्धि का गुणगान किया है। 1780 के कालखण्ड में बिहार के ग्रामों को स्वच्छता एवं आतिथ्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता था। गलियों की सफाई और धुलाई होती थी। प्रजा में यात्रियों के आतिथ्य–सत्कार तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के प्रति असाधारण भाव रहता था।

पुराने ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चलता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरम्भ के ब्रिटेन के मुकाबले भारत तकनीकी और शैक्षिक क्षेत्रों में कहीं उन्नतिशील देश था। इसकी कृषि तकनीकी और उत्पादकता के रूप में चरमोत्कृष्ट थी, यहां लोहे और इस्पात का बढ़िया स्तर का उत्पादन होता था। दिल्ली महरौली स्थित लौह–स्तम्भ ने 1500 वर्षों से भी अधिक समय के थपेड़े झेले हैं और इस पर भी धूल जमने या जंग लगने के चिह्न नहीं है। विश्व के धातु–विज्ञानी तकनीकी के इस उच्च स्तर पर आश्चर्यचकित थे। भारत का वस्त्र उद्योग ब्रिटिश–पूर्व समय में एक बड़ा औद्योगिक उद्यम था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक रहा है, जबकि चीन का दूसरा नम्बर था।

भारत में खगोलशास्त्र, गणित, रसायन, भौतिकी और जीवविज्ञान में जो आधुनिकतम उल्लेख मिलता है, विश्वभर में इन सभी की मान्यता थी। औषधि और शल्य चिकित्सा के क्षेत्रों में भी इसका योगदान विख्यात है। जीवंत सभ्यता के निर्माण में आयुर्वेद और योग का योगदान विश्व को भारत का सर्वोत्कृष्ट उपहार है। भारत प्लास्टिक शल्य चिकित्सा का ज्ञान रखता था और शताब्दियों से इसमें पारंगत रहा है और वास्तव में तो यहीं आधुनिक प्लास्टिक शल्य चिकित्सा का आधार भी है। डा0 एडवर्ड जेभर द्वारा आविष्कृत वेक्सीनेशन से पहले भारत सदियों से टीका लगाकर इलाज करता था।

फाह्यान ने 400 ई0 में मगध के बारे में लिखते हुए कहा है कि भारत में बड़े सुनियोजित ढंग से स्वास्थ्य प्रणाली प्रचलित थी। फाह्यान के अनुसार, इस देश के कुलीन व्यक्तियों और गृहस्वामियों ने सभी गरीबों, अनाथों, अपंगों और बीमार व्यक्तियों के लिए शहर में चिकित्सालयों की स्थापना की थी। ''उन्हें हर प्रकार की आवश्यक मदद दी जाती थी। चिकित्सक उनकी बीमारियों की जांच करते थे और उनके रोगी के अनुसार उन्हें भोजन, पानी, औषधि या काढ़ा दिया जाता था, इलाज होने के बाद वे स्वस्थ होकर लौटते थे।''

भारतीय विद्वानों के लेखन व अनेक वृतान्तों से निःसंदेह स्पष्ट है कि 18वीं सदी में भारत में न केवल बेहतर स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था थी, बल्कि उस समय इंग्लैण्ड में जो प्रणाली चल रही थी उसे देखते हुए जनसंख्या के हिसाब से स्कूलों और कॉलेजों की संख्या, स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कर्मठता और तीव्र बुद्धि, अध्यापकों की गुणवत्ता और निजी एवं सामाजिक संसाधनों से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की तुलना में हमारे देश में कहीं अधिक बेहतर शिक्षा व्यवस्था थी। उस समय की प्रचलित धारणा के विपरीत स्कूलों और कॉलेजों की उपस्थिति में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, मुस्लिमों और कन्याओं की संख्या का प्रतिशत अत्यधिक प्रभावशाली था। महात्मा गांधी ने जब यह कहा था तो बहुत सही कहा था कि 1870 में कोई लगभग 50–60 वर्ष पूर्व साक्षरता की तुलना में 1931 में भारत अधिक निरक्षर था। भारत जलपोत निर्माण के साथ–साथ रंगरेजी के निर्माण और प्रयोग एवं कागज निर्माण में भी विशेषज्ञता रखता था।

1600 ई0 में भारत का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 22.5 प्रतिशत हिस्सा था जो 1870 में ब्रिटिश शासनकाल में गिरकर 12.25 प्रतिशत रह गया, जबकि उसी काल में ब्रिटिश का हिस्सा तेजी से बढ़कर 1.8 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत हो गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त–व्यस्त थी और विश्व में विनिर्माण, व्यापार और जीडीपी में भारत का हिस्सा गिरता गया। स्वतंत्रता के 62 वर्षों के बाद भी विश्व बाजार में भारत का हिस्सा अब भी एक प्रतिशत से भी कम है।

भारत की समृद्धि, इसकी प्रतिभा और इसकी नैतिक समाज की स्थिति को लार्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को दिए अपने भाषण में जो कुछ कहा था, उसे भलीभांति समझा जा सकता है–

''मैंने भारत यात्रा एक छोर से दूसरे छोर तक की है और वहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा जो भिखारी हो, चोर हो, मैंने इस देश में इतना धन–वैभव देखा है, मैंने इतने अधिक नैतिक मूल्य देखे हैं, इतने क्षमतावान लोग देखे हैं, कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे। यह तभी संभव हो पाएगा, यदि हम इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ डालें, जो इस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बसती है और, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम इसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, इसकी संस्कृति को बदल डालें। यदि भारतीय यह सोचने लगे कि विदेशी और इंग्लिश ही उनकी अपनी चीजों और भाषा से ज्यादा बेहतर हैं तो फिर भारतीय अपना सम्मान, अपनी संस्कृति खो देंगे और फिर वे वहीं करेंगे जो हम उनसे कराना चाहेंगे, तभी वह देश सचमुच दास बन सकेगा।'' अंग्रेजों ने इस नीति को पूरी सक्रियता से कार्यान्वित किया और ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जिससे भारतीय अपनी प्रणाली को भूल जाएं।

कोई भी राष्ट्र अपनी घरेलू और विदेश नीतियों का कार्यक्रम तब तक तैयार नहीं कर सकता है जब तक उसे स्वयं अपना, अपने इतिहास, अपनी शक्ति और विफलताओं का स्पष्ट ज्ञान न हो। यह बात किसी भी देश के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि उसे अपने आधार का ज्ञान हो जिस पर आज के इस बहुत तेजी से चलते

और वैश्वीकृत विश्व में उसके लोगों की जड़ें टिकी हों। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीअरविन्द, महात्मा गांधी, डॉ. हेडगेवार जैसे स्वतंत्रता आन्दोलन का अभियान छेड़ने वाले महान नेताओं ने भारत की सभ्यता की स्पष्ट दृष्टि का निर्माण किया था। भारतीय विचारों और कार्यों के तौर–तरीके उनके राजनीतिक कार्यों के मूल में रहते थे। इन नेताओं के पास ऐसी दूरदृष्टि थी कि वे भारत के राजनैतिक और आर्थिक संस्थाओं एंव सभ्यता के प्रति चेतना का अविच्छिन्न रूप प्रदान कर भारत को एक देश, एक जन और एक राष्ट्र के रूप में ढाल सकें। दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने जल्द ही इस दूरदृष्टि को त्याग दिया और वे एक ऐसे संस्थागत ढांचे के निर्माण के काम में लगे रहे, जिसे अंग्रेजों ने तैयार किया था और जिसका भारत की विश्व–दृष्टि एवं उसकी जीवन–शक्ति से कोई सरोकार नहीं था, जो लगातार बाहरी हमलों और विदेशी शासन के रहते हुए भी प्राण–शक्ति का काम करती।

हमारे छह दशकों की स्वतंत्रता के कार्यकाल में कुछ थोड़े समय को छोड़ कर, हमारे देश का शासन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हाथों में रहा है। दुर्भाग्य है कि उन्होंने कभी भी भारत की सभ्यताओं की चेतना को समझ कर शासन के लिए सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक प्रतिमान तैयार करने पर विचार नहीं किया। इसकी बजाए उन्होंने जो कुछ भी और जैसा भी पश्चिमी देशों में हो रहा था, उसकी नकल करने की कोशिश की। आज इसके विनाशकारी परिणाम हमारे सामने हैं।

स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता तो यह थी कि हम भारत के लोगों की भावनाओं और समझबूझ जानकर भारत की राजव्यवस्था को नया रूप प्रदान करते। ऐसा न होने का परिणाम यह हुआ कि हमारे सामने एक खण्डित समाज है, विशाल स्तर पर आर्थिक असमानताएं हैं, आतंकवाद और साम्प्रदायिक संघर्ष मौजूद हैं, असुरक्षा है, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पतन का दृश्य विद्यमान है और है एक ऐसा राज्य–तंत्र जो किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। कभी–कभी कामकाज के प्रबंधन के लिए उपचारीय व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाती है, परन्तु सफलता हाथ नहीं आती। आवश्यकता तो 'भारतीय विचार' और साथ ही लोगों की भावनाओं और वरीयताओं पर आम सहमति बनाना है और देखना होगा कि किस प्रकार से भारत के लोग इसे विभिन्न सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक संगठनों और सांस्कृतिक, सौन्दर्यानुभूति और नैतिक समझ–बूझ के लिए अभिव्यक्त करते हैं।

हमारे ऋषि–मुनियों और दार्शनिकों ने भारत की सभ्यताओं के प्रति चेतना को भली–भांति परिभाषित किया है और इनकी जड़ें भारतीय अथवा हिन्दू विश्व–दृष्टि में समाहित हैं। यह विश्व दृष्टि सम्पूर्ण और आध्यात्मिक है। इसमें माना गया है कि निर्माण–योजना में विविधता तो जन्मजात से ही विद्यमान रहती है, यह विभिन्न रूपों में उसी ब्रह्माण्ड के स्वरूप की झलक प्रदान करती है। इस प्रकार हम विविधता को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। यह एक समावेशी दृष्टि है और कहा जा सकता है कि हिन्दुत्व आध्यात्मिक सह–अस्तित्व का सबसे श्रेष्ठ अनुभव है। भारतीय विचारों की परिकल्पना राष्ट्रीय सीमाओं के बहुत दूर तक पहुंचती है और वैदिक ऋषियों ने पुरातनकाल से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की घोषणा कर दी थी। भारतीय विश्वदृष्टि का क्षितिज, एक तरफ बामियान/कांधार से बोरोबुदुर/इंडोनेशिया तक फैला है तो दूसरी तरफ श्रीलंका से जापान तक इसका विस्तार बना रहता है। भारतीय संस्कृति के चिह्न तो विश्व के कुछ अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। प्राचीन काल में भारत

भले ही भौगोलिक रूप से अलग–थलग पड़ गया हो, परन्तु सांस्कृतिक सम्बन्धों, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में वह कभी अलग नहीं पड़ा।

मानव जाति की अनिवार्य एकता में आस्था रखना, यहां के हिन्दू चिंतन की अभूतपूर्व विशेषता है। वैदिक ऋषि भी घोषित करते हैं– 'एकम् सद्विप्राः बहुधा वद्न्ति।' यह निश्चित ही यथार्थ में सेक्युलर विचार है क्योंकि इसमें माना गया है कि कोई भी व्यक्ति उस परमपिता तक पहुंचने के लिए स्वयं अपने पथ का अनुसरण कर सकता है। हिन्दू तो धर्मों की समरसता के विश्वास के लिए जाने जाते हैं इसी विश्व दृष्टि के कारण विश्व के विभिन्न भागों में लगभग जितने प्रचलित धर्म हैं, भारत में बड़ी शांतिपूर्वक उनका आचरण होता है और यह सदा होता भी रहेगा।

आज स्वतंत्रता के छह दशक बीत जाने पर भी भारत इनकी अंतर्निहित शक्ति और समय की भावना को पहचान नहीं पाया है। फलस्वरूप दिशाविहीन हो गया है। साथ ही इच्छा शक्ति भी खो बैठा है। यह लक्ष्य–विहीनता बहुत भारी है और इसने राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को घेर लिया है। इस स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जिससे एक ऐसे समृद्ध, प्रगतिशील और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो, जिसकी आवाज़ अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जा सके।

भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि लोग गम्भीरता से इस कार्य में जुट जाएं। हमारे पास विपुल मानव और भौतिकी संसाधनों का भण्डार है। भारतीय युवाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं दिखा दी हैं और अपनी सामर्थ्य प्रमाणित कर दी है। विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध न होने के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में उन्होंने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर दिखाया है। उद्योग, व्यापार और प्रबंधन व सूचना संचार प्रौद्योगिकी में उन्होंने सफलतापूर्वक चुनौतीपूर्ण कार्य कर दिखाए हैं। इतनी ऊर्जावान और जीवंत युवाशक्ति को लेकर और विवेकपूर्ण ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर, भारतीय लोग करिश्मा दिखा सकते हैं, बशर्ते वे भारत में रहकर आत्मविश्वास और गौरव से कार्य कर सकें। हमें अपने युवाओं को निर्णयकारी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने और पूर्ण अवसर प्रदान करने होंगे। वे ही हमारे भविष्य हैं और हमारी समृद्धि के वाहक हैं।

भारत के विकास को लेकर इस या उस मॉडल को अपनाने के लिए आंख मींच कर नकल करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी प्रतिभा और संसाधनों के अनुरूप अपना एक मॉडल तैयार करना होगा। पं0 दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में ऐसा मॉडल निहित है। भारत को मौलिक बनना होगा, भारत को नवीन आविष्कार करने होंगे और भारत को वैश्विक नेतृत्व की सीढ़ी पर ऊंचे ही ऊंचे चढ़ते चले जाना होगा। आज वैश्विक परिदृश्य एक समाधान, एक क्रांतिकारी समाधान की अपेक्षा करता है ताकि विश्व को विशाल आर्थिक मंदी और पूरे विश्व पर छाए आतंकवाद के कारण आने वाले विनाश से बचाया जा सके। भारत को इस निर्णायक घड़ी में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभानी होगी और इसके लिए भाजपा एक आधुनिक, शक्तिशाली, समृद्ध, प्रगतिशील और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

डा0 मुरली मनोहर जोशी
अध्यक्ष
घोषणापत्र समिति
मार्च 2009

स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए भारत को एक निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता

2004 में कांग्रेस का सत्ता में आना भाग्य के अजीब चक्र का परिणाम ही कहा जाएगा। वामपंथी दलों की मदद से कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने संसद में बहुमत प्राप्त कर लिया, जिसमें तालमेल का नितांत अभाव था कांग्रेस के सहयोगी दलों में अलग–अलग मंत्री अपने आवंटित मंत्रिमण्डलों को अपनी निजी जायदाद समझ कर चला रहे थे। यह वह सरकार थी जो सामूहिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के इन दो सिद्धातों से पूरी तरह बेखबर थी।

देश पर एक प्रधानमंत्री का बोझ लाद लिया गया, जो पद पर भले रहा हो, परन्तु सत्ता उसके पास नहीं थी। सरकार सत्ता में तो थी परन्तु अधिकारविहीन थी। माना जाता था कि यह सरकार आम आदमी के कल्याण का कार्य करेगी। आज जब संप्रग पांच वर्ष के बाद सत्ता से निष्कासित होने की तैयारी में है तो उसके पास 'हाथ' बढ़ा कर 'आम आदमी' के हित को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।

यह सरकार चार बातों के लिए याद की जाएगी। इस सरकार का नेतृत्व आज तक के देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ने किया। इस सरकार द्वारा एनडीए की नीतियों को पलट देने के कारण देश में असुरक्षा की भावना बढ़ी जिसे हम बार–बार हुए आतंकवादी हमलों, माओवादी विद्रोहों और अलगाववादी हिंसा के रूप में देख सकते हैं जिससे कुल मिलाकर सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राण गए। इस सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की बेहद बदइंतजामी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी, मंहगाई बढ़ी, नौकरियां गई और तालाबंदियां हुईं। इस सरकार ने राज्य की एजेंसियों, अर्थात् सीबीआई का दुरुपयोग कर उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया।

कांग्रेस ने पुराने कानूनों में दिखावटी बदलाव करके राष्ट्रीय सुरक्षा मोर्चे के अपने भयावह रिकार्ड पर लीपापोती करने का प्रयास किया, जिसमें विशेषरूप से आतंकवाद से नागरिकों की रक्षा करने में उसकी विफलता साफ दिखाई पड़ती है। इतना ही काफी नहीं रहा। इस सरकार ने आंकड़ों के साथ धोखा कर खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों की भी बेहद अनदेखी की, जो 2004 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक हो चुकी है।

पिछले वर्ष असंगठित क्षेत्र में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। कुशल श्रमिक भी संगठित क्षेत्रों में अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। यह स्थिति तो बेरोजगारी से भी बदतर है क्योंकि इसके कारण निश्चित आय पर निर्भर परिवारों के लोग कंगाल हो जाते है और राष्ट्रीय भावना मंद पड़ जाती है।

*

भारत के युवाओं पर सबसे अधिक मार पड़ी है, विशेष रूप से ऐसे युवा जो नौकरी बाजार में रोजगार पाने के उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार ने उन्हें अंधकारमय भविष्य की राह पर छोड़ दिया।

जहां तक गरीबों की स्थिति है, कांग्रेस नेतृत्व में चले शासन में वे परित्यक्त महसूस करने लगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम भी उतना ही 'असफल' रहा, जितनी सरकार की अन्य योजनाएं। यूपीए सरकार पर यह बड़ी कटु टिप्पणी है कि उसके शासनकाल के पांच वर्षों में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्ययन जो कि राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन के द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित है के अनुसार है। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक होगें।

भयंकर गरीबी तथा बढ़ते हुए ऋणभार से बचने के लिए ग्रामीण भारत में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। वे सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं।

कांग्रेस–नीत यूपीए शासन काल की इतनी ही भर्त्सनापूर्ण स्थिति नगरों में बढ़ती गरीबी की भी है। अनुमान है कि 'इंण्डिया : अर्बन पावर्टी रिपोर्ट 2009' के अनुसार शहरों और कस्बों की 23.7 प्रतिशत जनसंख्या गंदी बस्तियों में रहती है, जहां इन लोगों की जिन्दगी आंधी–तूफान, अपराधों, बीमारी और तनाव के बीच गुजरती है।'

इस प्रकार की घोर गरीबी और अपवंचितता, गरीबी रेखा के नीचे बढ़ते लोगों की संख्या राष्ट्र की महत्वाकांक्षा के विपरीत है। इन लोगों की भारी संख्या भारत को महाशक्ति बनाने में बाधक है और उन्हें दूर करने के लिए सरकार के उपचारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिसके लिए भाजपा सत्ता में आने के बाद उपाय करने का प्रस्ताव करती है।

एनडीए के शासनकाल में स्थिरता भारत के समृद्ध होने में सहायक हुई थी। यूपीए के शासनकाल में हुए भटकाव से विकासगति उलट गई। भाजपा स्थिरता को पुनः बहाल करेगी।

*

भाजपा सत्ता में आने के बाद तुरंत ही सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों का समाधान करेगी। भाजपा ढांचागत परियोजनाओं में भारी निवेश कर, कृषि को स्वस्थ बनाने और उद्योगों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रोजगार के अवसर बढ़ाने, खुशहाली प्रदान करने वाली नीतियों को फिर से शुरू करेगी और साथ ही साथ आतंकवादियों की लूट–खसोट से सभी लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

आज भारत के सामने नेतृत्व का सबसे बड़ा संकट है। देश को एक ऐसे कृतसंकल्प नेता की आवश्यकता है जो क्षमता, प्रतिबद्धता और विश्वास से परिपूर्ण होकर स्थिति को संभाल सके और आगे आकर नेतृत्व कर सके। देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो सरकार की विश्वसनीयता और स्वयं लोगों की विश्वसनीयता को बहाल करे। राजव्यवस्था के लिए ऐसे नेता की आवश्यकता है जो संघर्ष के बजाय आम सहमति, टकराव की बजाय विचार–विमर्श के मूल्यों को पहचानता हो। तभी कांग्रेस राज के दौरान हर क्षेत्र में फैली विफलता का स्थान सुशासन को मिल पाएगा।

ऐसे नेता केवल श्री लालकृष्ण आडवाणी हैं।

श्री आडवाणी का पिछले छः दशकों का राष्ट्रसेवा का शानदार रिकार्ड है। वे एक बेदाग छवि के नेता हैं जो आपातकाल (1975–77) के दौरान लोकतंत्र के प्रमुख प्रणेताओं में से एक हैं जिन्होंने 19 महीने जेल में बिताए। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे बड़े जनांदोलन, अयोध्या आन्दोलन का नेतृत्व किया तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं पंथनिरपेक्षता के वास्तविक अर्थों पर सशक्त बहस की शुरुआत की। केन्द्र में स्थिर एवं सफल गैर–कांग्रेसी गठबंधन सरकार (1998–2004) बनाने तथा भाजपानीत एनडीए के विजय में वे श्री वाजपेयी के साथ प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। भारत के उप–प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री के रूप में देश को संकट की घड़ी में निकालने में इन्होंने श्री वाजपेयी की कुशलतापूर्वक सहायता की।

श्री आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए के मित्रदलों के साथ 2009 के आम चुनाव में जनादेश मांगेते हुए भाजपा गर्व का अनुभव कर रही है।

*

भाजपा 2009 का 15वां लोकसभा चुनाव एक ऐसे घोषणा–पत्र पर लड़ रही है जो पार्टी को परिवर्तन के उस कार्यक्रम से प्रतिबद्ध करता है जो तीन लक्ष्यों : **सुशासन, विकास** एवं **सुरक्षा** से निर्देशित है। हमारा विशेष ध्यान राष्ट्र के युवाओं पर होगा, उनकी चिंताओं का समाधान करने पर होगा और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में उनकी मदद करने पर होगा। हम उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान कर श्रेष्ठता (Excellence) के माध्यम से सशक्तिकरण लाने पर जोर देंगे। हम लोगों के जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर इसे कृषि, ग्रामीण विकास एवं असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र की ओर उन्मुख करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर महंगाई घटाना तथा आधारभूत संरचना सम्बन्धी परियोजनाओं में भारी निवेश हमारी प्राथमिकता होगी।

भाजपा का मानना है कि पांच वर्षों के लक्ष्यविहीन शासन तथा गंवाए गए अवसरों के बाद अब समय आ गया है कि ऐसी सरकार बने जिसे 'जैसी चाहते थे वैसी सरकार' कहा जा सके। हमारी प्रमुख चिंता भारत का त्वरित, समावेशी, समान और बहुमुखी विकास एवं स्थायी वृद्धि करना होगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। हम ग्रामीण विकास में निवेश करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को पुनः सशक्त बनाएंगे; हम उत्पादकता सुनिश्चित कर एवं किसानों को निश्चित आय प्रदान कर कृषि को फिर से लाभप्रद रोजगार के असंख्य अवसर पैदा कर लोगों की आजीविका को सुरक्षित करेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा : इस देश में फिर से भय का राज नहीं होगा

पिछले पांच वर्षों का शासनकाल लोगों के लिए दु:स्वप्न की तरह बीता है। इस अक्षम यूपीए सरकार के कारण आतंकवादियों, अलगाववादियों और विद्रोहियों ने खुल कर मौत और विध्वंस का ताडंव किया। 2005 में दीवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली में किए गए दु:साहसी हमले से लेकर अयोध्या में राम मंदिर पर फिदायीन हमला, हैदराबाद (मक्का मस्जिद भी शामिल), बंगलौर, जयपुर, अहमदाबाद और गुवाहाटी के भयानक बम–विस्फोटों से लेकर काशी में संकटमोचन मंदिर की पूजा–अर्चना करने वाले लोगों का कत्लेआम। आतंकवादियों ने निर्भय होकर बार–बार हमले किए। उधर प्रधानमंत्री ने संदिग्ध आतंकवादियों की तकलीफ से पीड़ित होकर बिना सोए रातें बिताईं तथा वे हमलों में मारे गए आतंकवादियों के रिश्तेदारों को 'पुरस्कार' देने के लिए बेताब रहे।

यूपीए सरकार ने भाजपा–नीत एनडीए सरकार द्वारा बनायी गयी आतंक–विरोधी व्यवस्था खत्म कर अपने शासनकाल की शुरुआत की। पोटा को निरस्त किया व जांच पड़ताल रोकी और आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने की गति धीमी कर दी। संसद पर दु:साहसी हमला करने के पीछे मास्टरमाइंड मौहम्मद अफजल गुरू को पोटा के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। परन्तु एक अनिर्णायक प्रधानमंत्री और कमजोर सरकार ने फांसी नहीं दी और भारत के दुश्मनों को स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में है, तब तक उसे सजा नहीं दी जाएगी।

इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आतंकवादी फिर हमारे शहरों में आए और मौत तथा विध्वंस के खूनी निशान छोड़ जाए। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई पर दोबारा

हमले हुए और यही बात भारत की तकनीकी राजधानी बंगलौर में भी हुई। लगता है कि दैनिक यात्रियों की गाड़ियों पर बम विस्फोट काफी नहीं था कि आईएसआई ने मुम्बई में भयानक हमला करने के लिए फिदायीन भेज दिए जिन्होंने 26 नवंबर, 2008 को हमला किया, जो 60 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। भारत आतंकवादियों के सामने इससे पहले कभी इतना लाचार नहीं दिखा।

पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद शहरों, कस्बों और गांवों में छाए भय के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी ओर आम आदमी के जान–माल को माओवादियों से भी उतना ही खतरा है, जिन्होंने 13 राज्यों के 156 जिलों में हिंसा का जाल फैला दिया है। एनडीए सरकार द्वारा तैयार किए गए अंतर्राज्यीय समन्वय तंत्र को खत्म कर दिया गया और राज्य सरकारों को माओवादियों की बढ़ती दुश्मनी के सामने स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया। जम्मू व कश्मीर में अलगाववादी हिंसा जारी रखने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की सेवाएं लेते रहते हैं। उत्तर–पूर्व में उग्रवादी निर्ममता से निर्दोष लोगों को मारते हैं और उनके अंगों को काट डालते हैं। असम की स्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि जिस उल्फा को एनडीए के शासनकाल में दबा दिया था, उन्होंने फिर से ग्रुप बनाना और अपने कैडर को फिर से हथियार देना शुरु कर दिया है। उन्होंने आतंक की अथाह लहर पैदा कर दी है। राज्य सरकार ने हिंसा रोकने या उल्फा को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया है, उल्टे हत्यारों से बिना शर्त बात करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

पूर्वी सीमा पर बेरोक–टोक घुसपैठ भी आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आई.एस.आई., इसके जिहादी संगठन और स्थानीय आतंकी सेलों ने इन अवैध घुसपैठियों का दुरुपयोग किया, साथ ही विदेशी आतंकवादियों को हथियारों की मदद भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठ को 'वाह्य आक्रमण' नाम दिया है और आई.एम.डी.टी. एक्ट को निरस्त कर दिया। परन्तु कांग्रेस ने, केन्द्र तथा असम दोनों स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सरकारी आदेशों द्वारा घुमा–फिरा कर बिगाड़ने की कोशिश की है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए राज्य सरकार पर कुछ न किए जाने पर बहुत निंदा की थी। उच्च न्यायालय ने उस पाकिस्तानी का उल्लेख किया जो बांग्लादेश के रास्ते असम में प्रवेश कर गया और उसने बिना किसी चुनौती के विधान सभा चुनाव लड़ लिया। वोट बैंक की राजनीति से न केवल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके की जनसांख्यिकी बदल गई है, बल्कि इससे राज्य के सत्ता–बल का भी क्षय हुआ है। भारत आग के ढेर पर बैठा है। इस सतत् अवैध घुसपैठ के परिणाम निश्चय ही विनाशकारी होंगे।

अब सत्ता से जाते हुए यूपीए सरकार ने पुराने कानूनों में संशोधन कर छेड़छाड़ करने का प्रयास कर और आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच अधिकरण बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहा है। परन्तु इस प्रकार के अधूरे प्रयासों से 26/11 हमले के बाद फैला गुस्सा और बेचैनी न तो कम होने वाली है और न ही आतंकवाद से खतरे से निपटने के लिए सही दृष्टिकोण है।

भाजपा सत्ता में आने पर 100 दिन के भीतर निम्नलिखित उपाय शुरू करेगी :

1. कांग्रेस द्वारा समाप्त किए गए आतंक विरोधी तंत्र को फिर से बहाल करना; पोटा में सुधार लाना ताकि एक निवारक एवं उपकरण के रूप में इसे और अधिक कारगर बनाया जाए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान किए बिना अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सके; और राष्ट्रीय जांच अधिकरण के कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

2. राज्य सरकारों द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद के संबद्ध में बनाए गए कानून को सहमति दी जाएगी; दूसरे राज्य सरकारों को भी ऐसे ही कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. अवैध घुसपैठियों का पता चलाने व उन्हें वापस करने के लिए अभियान चलाएगी।

4. आई बी और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह से चुस्त–दुरूस्त किया जाएगा, और खुफिया जानकारियों के संग्रहण और प्रक्रिया की वर्तमान व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। खुफिया एजेंसियों के आधुनिकीकरण पर विशाल स्तर पर काम होगा ताकि वे बेहतर ढंग से तकनीकी का प्रयोग कर सकें और देश व विदेश में आतंकवाद के बदलते रूप पर तेजी से कार्रवाई कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सभी खुफिया एजेंसियों का मुख्य केन्द्र बनाया जाएगा। यह सही समय पर गोपनीय सूचनाएं भेजने के लिए जवाबदेह होगी और खुफिया एजेंसियां चूकों के लिए भी जिम्मेदार होंगी। खुफिया सूचनाओं के संसाधन की प्रक्रिया में एजेंसियों की बहुलता को समाप्त किया जाएगा। खुफिया एजेंसियों में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होंगी, न कि राजनैतिक संरक्षण के आधार पर, जैसा कि यूपीए के शासनकाल में एवं इससे पूर्व दशकों से कांग्रेस के शासनकाल से यह व्यवस्था चली आ रही थी।

5. साइबर वेल्फेयर, साइबर काउंटर–टेररिज्म, और नेशनल डिजीटल एसेट्स की साइबर सुरक्षा के लिए डिजीटल सिक्युरिटी एजेंसी स्थापित की जाएगी।

6. राज्य सरकारों को अपने–अपने पुलिस बलों को आधुनिक करने एवं नवीनतम हथियारों से लैस करने तथा संचार टेकनोलॉजी के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी। यह 'मिशन मोड एप्रोच' के द्वारा किया जाएगा। किसी भी संकट की स्थिति में पुलिस को सबसे पहले पहुंचना होता है। अनुभव से सबक लेकर पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें मुम्बई जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से लैस किया जाएगा तथा उन्हें माओवादियों व अलगाववादियों से मिली चुनौतियों से निपटने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक होगा।

7. सीमा प्रबंधन की समीक्षा होगी और सुधारा जाएगा। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दंडात्मक व्यवस्था की जाएगी।

8. भारत की विशाल तटरेखा लगभग असुरक्षित है। भारतीय समुद्रों में बेहतर गश्त लगाने के लिए नौसेना और तट रक्षकों को आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और आतंकवादियों को समुद्री रास्ते से भारत प्रवेश से रोका जाएगा। तटीय सुरक्षा के समायोजन हेतु एक राष्ट्रीय सागरीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

9. आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। उनकी कार्यवाही निष्पक्ष होगी और पीड़ितों को तेजी से न्याय मिलेगा।

10. वे, जो देश सीमा–पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनसे निपटने के लिए कूटनीतिक उपायों सहित बल प्रयोग के उपायों का इस्तेमाल होगा। भारत, शेष विश्व के साथ आतंक पर 'वैश्विक युद्ध' में साथ देगा, साथ ही भारत अपने घरेलू हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, और आतंकवाद से नागरिकों की रक्षा करेगा।

11. केन्द्र बेहतर ढंग से अंतर्राज्यीय समन्वय स्थापित कराने व समय पर खुफिया सूचनाओं के आदान–प्रदान कराने में सुविधा देगा और इसके अलावा माओवादियों के खतरे से निपटने के लिए एंटी–इंसर्जेंसी बल बनाने के लिए राज्यों को मदद देगा। माओवादी हमलों के मुकाबले के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ, वामपंथी उग्रवाद को पैदा करने वाले सभी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाएगा।

12. किसी भी विद्रोही गुट से बातचीत, सशर्त व संविधान के ढांचे के अन्तर्गत होगी।

भाजपा आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को सीधा, स्पष्ट और मुखर संदेश देगी : उन्हें हर निर्दोष व्यक्ति की मौत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उचित सजा तेजी से और निर्णायक रूप से दी जाएगी। कांग्रेस द्वारा वोट बैंक की राजनीति के अन्तर्गत राज्य की शक्ति का जो ह्रास किया गया है उसे पुनः बहाल किया जाएगा।

सभी के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र

भाजपा देश भर में राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली स्थापित करने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करेगी ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सही ढंग से नागरिकों की हित–रक्षा, उचित कर संग्रह, वित्तीय समावेश और मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और बी.पी.एल. कार्डों का पहले ही प्रयोग हो रहा है हालांकि सभी फोटो पहचान पत्र नहीं हैं। एनडीए का प्रस्ताव है कि प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र रखना जरूरी है। इस कार्यक्रम को तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय पहचान पत्र में पर्याप्त 'मेमोरी' और 'प्रोसेसिंग' क्षमताएं रहेगी, ताकि उनका बहु–आयामी प्रयोग हो सके। इसके माध्यम से एनडीए सुनिश्चित करेगा कि कुशल ढंग से लोगों का हित हो और कर–संग्रह हो सके। कार्ड को बैंक खातों से भी लिंक किया जाएगा। सभी प्रकार के कल्याणकारी भुगतान, जिनमें विधवा और वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल रहेगी, तथा अन्य व्यापक योजनाओं को, जैसे मां और बाल सहायता/किसान क्रेडिट, छात्र सहायता और माइक्रो–क्रेडिट योजनाओं को भी राष्ट्रीय पहचान पत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। व्यक्तियों के लिए कार्ड से पैसा बचाना और उधार लेना भी संभव हो सकेगा; किसानों के लिए बैंक क्रेडिट मिल सकेगा और सही–सही 'लैंड टाइटल्स डेटा' भी स्थापित हो सकेगा।

राष्ट्रीय पहचान पत्र से नागरिकों की सही पहचान करने से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और इस प्रकार अवैध घुसपैठ को रोका जाएगा। सभी प्रकार के वित्तीय लेन–देन, सम्पत्ति खरीदना और सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करना भी राष्ट्रीय पहचान पत्र के आधार पर संभव हो सकेगा जिससे जालसाजी और 'हैकिंग' को रोका जा सकेगा।

विश्व के साथ संवाद : भारत की आवाज सुनी जाएगी

भाजपा का मानना है कि नवोदित भारत को राष्ट्रों के समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनका सही स्थान मिलना चाहिए। भाजपा का यह भी विश्वास है कि आज के बहुध्रुवीय विश्व में किसी देश के पास दूसरे देशों के मुकाबले अधिक अधिकार नहीं होने चाहिए। इसके लिए भाजपा सत्तारूढ़ होने पर पूरे विश्व के देशों के साथ समान शर्तों पर सार्थक रूप से कूटनीति करेगी।

भाजपा भारत और अमेरिका के बीच अच्छे सम्बन्ध चाहती है। भारत अमरीकी सामरिक साझेदारी को समानता के सिद्धान्त के आधार पर मजबूत करेगी। परन्तु हम न तो भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करेंगे

और न ही किसी अन्य मित्र देश के सम्बंधों को बिगड़ने देंगे। भाजपा यूपीए सरकार के बिगाड़े गए सम्बन्धों में संतुलन को बहाल करेगी।

भारत के रूस और मध्य एशियाई गणतंत्र देशों के सम्बन्धों को पुनः निर्माण कर उन्हें वास्तविक धरातल पर लाया जाएगा और इन्हें अधिकतम पारस्परिक लाभप्रद बनाया जाएगा।

हम यूरोपीय संघ, पश्चिमी एशियाई देशों और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाएंगे। हम अरब देशों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत बनाएंगे और इजरायल के साथ सहयोग बढ़ाएंगे – दोनों सम्बन्धों का आपस में कोई अन्तर्संबंध नहीं है और दोनों ही भारत के लिए लाभप्रद हैं।

चीन के साथ अनिर्णीत सीमा विवाद के समाधान की बातचीत प्रक्रिया, जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शुरू किया था, फिर से शुरू की जाएगी। हम मानते हैं कि भारत और चीन दोनों ही मिलकर समृद्ध हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आर्थिक सहयोग इसमें योगदान दे सकता है।

भारतीय महासागरीय क्षेत्र में भारत को एक विशिष्ट भूमिका निभानी है जिसका वह पूरी शक्ति से अनुसरण करेगा।

भारत अपने पड़ोसी देशों से मित्रवत तथा सहयोगात्मक सम्बंध बनाए रखने में विश्वास रखता है। हम यह भी मानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की राजनीतिक स्थिरता, प्रगति और शांति दक्षिण एशिया की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है : सार्क इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मंच है।

परन्तु भाजपा पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध बनाते हुए एक मात्र राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए भारत अपने निर्णय और कार्य करेगा :

पाकिस्तान : पाकिस्तान के साथ तब तक कोई भी 'पूर्ण संवाद' नहीं हो सकता है जब तक कि (क) पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में आतंकवादी ताने–बाने को ध्वस्त नहीं कर देता है, (ख) जब तक वह आतंकवादी तत्वों और संगठनों पर सक्रिय रूप से मुकदमा नहीं चलाता है, (ग) जब तक वह सीमापार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाकर उस पर स्थायी और निश्चित रूप से बंद नहीं कर देता है, (घ) जब तक वह भारत पर आतंकवादी हमले करने के लिए तीसरे देशों के प्रयोग बंद नहीं करता है, और (ङ) जब तक वह भारत की धरती पर अपराध करने वाले व्यक्तियों को भारत को सौंप नहीं देता है।

नेपाल : भाजपा यूपीए के उन पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने के लिए भारत की नेपाल नीति की समीक्षा करेगी, जिनसे नेपाल में घटी घटनाओं पर भारत का प्रत्युत्तर प्रभावित रहा, यह आवश्यक है क्योंकि नेपाल के साथ हमारी देश की सभ्यता का इतिहास एक जैसा है। भारत–नेपाल के सम्बन्धों का आधार मित्रतापूर्ण, पारस्परिक सहयोग और हितों के सामंजस्य पर टिका होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और बातचीत के आधार पर पारस्परिक हितों और लाभों को ध्यान में रखकर बदलाव लाया जाएगा। भाजपा चाहेगी कि नेपाल एक स्थिर, समृद्ध देश बनकर उभरे और हमारा प्रयास रहेगा कि युगों पुराने भाई–चारे के बंधनों को मजबूत किया जाए।

भूटान : भूटान के साथ वर्तमान निकट सम्बन्धों को मजबूत किया जाएगा।

बांग्लादेश : भाजपा पारस्परिक सहायता लाभ के मुद्दों पर बांग्लादेश सरकार के साथ सक्रिय के रूप में काम करेगी। ढाका में मित्रवत सरकार भारत के हित में है।

श्रीलंका : भाजपा मानती है कि श्रीलंका को आतंकवाद से अपनी भूमि पर निपटने का अधिकार है। साथ ही, कोलम्बो में सरकार को श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक और मानवाधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। भाजपा श्रीलंका के साथ उत्कृष्ट सम्बन्ध रखने की नीति पर चलेगी और पिछले पांच वर्षों में बिगड़े सम्बन्धों को फिर से सुधारने के लिए पहल करेगी।

अफगानिस्तान : भाजपा मानती है कि भारत को अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और उस देश के पुनर्निर्माण एवं उनके समाज को स्थिरता प्रदान करने के साथ–साथ पाकिस्तानी शरणस्थलों से काम कर रहे तालिबानों के हमलों से वहां के लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भाजपा भारत–अफगानिस्तान सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाएगी और अफगानिस्तान की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगी।

विदेशों में भारतमाता के पुत्र

भाजपा विदेशों में बसे भारत मूल के लोगों के साथ गहन सम्बन्ध बनाए रखेगी। भाजपा की सतत यह नीति रही है कि वह विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के हितों में साथ दे। एनडीए के शासनकाल में प्रवासी भारतीयों और उनकी पैतृक भूमि के बीच सम्बन्धों को और पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा।

भारत की रक्षा : न समझौता न छूट

हमारी क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से हो रहे परिवर्तन को देखते हुए थल सेना, वायु सेना और नौसेना को मजबूत करना बहुत जरूरी है। दुख की बात है कि कांग्रेस ने सैनिकों की बड़ी उपेक्षा की है और थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना की समस्याओं को हल न कर पाने के कारण उनमें अपार असंतोष पैदा हो गया है। भाजपा तुरंत ही उनके सभी बकाया मुद्दों का समाधान करेगी। भारत की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाजपा निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेगी :

1. लम्बे समय से लम्बित सैनिक साजों सामान प्राप्त करने के काम को चरणबद्ध ढंग से पारदर्शिता और तीव्रता से निपटाया जाएगा।
2. रक्षा बलों के लिए बजट आवंटनों को उनके समाप्त होने की अवधि से पूर्व ही खर्च कर लिया जाएगा। यूपीए सरकार ने रक्षा बलों के प्रति नितांत लापरवाही के कारण बजट आवंटन का लगभग 24,000 करोड़ रूपया बेकार कर दिया जिसे पांच वर्षों में खर्च किया जाना था। इससे न केवल हमारे जवानों का जीवन खतरे में पड़ गया, बल्कि देश की सुरक्षा पर भी आंच आ गई।
3. हमारे सैनिक बल राष्ट्र की सेवा में कार्यरत हैं और उन्हें बेहतर वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त करने का हक है। इस उद्देश्य के लिए भाजपा निम्नलिखित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है :
   क. वेतन और विशेषाधिकारों के बकाया पड़े मुद्दों की फिर से समीक्षा की जाएगी और रक्षा सेवाओं के लिए सन्तोषजनक हल निकाला जाएगा।

ख. थल सेना, वायु सेना और नौसेना एवं अर्ध–सैनिक बलों के सभी कार्मिकों को उनके वेतन तथा अन्य परिलब्धियों पर आयकर देने से छूट दी जाएगी।

ग. परमवीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार के विजेताओं के लिए मानदेय जो अभी काफी कम 500 से 3000 रुपए के बीच है में 10 गुना वृद्धि कर 5000 से 30,000 रुपए के मध्य लाया जाएगा। इसे गत काल प्रभाव से लागू किया जाएगा तथा यह कर मुक्त होगा।

घ. समान रैंक, समान पेंशन का सिद्धांत लागू किया जाएगा।

ड़ अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए युवाओं तथा युवतियों के लिए प्रोत्साहनकारी उपाए किए जाएंगे।

च. रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों के मामलों का सम्माननीय हल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

4. सभी स्तरों पर रक्षा कार्मिकों की वर्तमान रक्षा सेवाओं में कमी को आकर्षक कैरियर विकल्प के उपाय किए जाएंगे। इनमें प्रतिस्पर्धी वेतन और विशेषाधिकार तथा पेंशन लाभ शामिल रहेंगे। ये काम एक चरणबद्ध समय में पूरा किया जाएगा।

5. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारम्परिक रक्षा उत्पादन के लिए पीपीपी रूप को तलाशा जाएगा और सन 2020 तक विश्व बाजार में भारत एक प्रतिस्पर्धी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा।

स्वतंत्र सामरिक परमाणु कार्यक्रम

भाजपा का मानना है कि कांग्रेस ने भारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम के साथ भयंकर खिलवाड़ किया है। पोकरण–II और उसके बाद की घटनाक्रम से प्राप्त लाभ को संकीर्ण स्वार्थ की खातिर भट्ठी में डाल दिया गया है। फलतः जो चाहते हैं कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोककर पलट दिया जाए, तथा वह अंततः निरस्त हो जाए, आज लाभ में हैं।

भाजपा सत्ता में आते ही इस दुःस्थिति को बदल वापस सही राह पर लाएगी। भारत में थोरियम टेक्नॉलाजी कार्यक्रम को तेज किया जाएगा और सभी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि यूपीए सरकार द्वारा की गई भयंकर गलतियों को सुधारा जाए। भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, परन्तु इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय रणनीतिक हित बलिदान नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भारत–अमेरिका सिविल न्यूक्लियर को–ऑपरेशन समझौते को बेहद जरूरी बता कर भारत के लागों को बेवकूफ बनाया है और समझ में नहीं आता कि इससे लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने में कैसे मदद मिलेगी। उसने यह सब कुछ दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें छिपा कर किया है। पहली बात, जैसा कि सीएजी ने भी कहा है, यूपीए सरकार ने भारत के अपनी परमाणु ईंधन आपूर्ति भण्डारों का पता लगाने की जरा भी कोशिश नहीं की है। अगर ऐसा किया होता तो हमारे रिएक्टर आज की तुलना में कई गुना अधिक बिजली का उत्पादन करते। दूसरी बात, परमाणु ऊर्जा अत्यधिक महंगी है और आम आदमी इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अन्तिम विश्लेषण यही है कि भारत–अमरीकी परमाणु समझौता भारत का सशक्तिकरण

के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तो भारत को अमरीका पर निर्भर बनाना और हमें भेदभावपूर्ण व्यवस्था में बांधकर, जिससे पाकिस्तान मुक्त है, भारत को शक्तिविहीन करना है।

भाजपा भारत की परमाणु–प्रसार रोकने की प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा। परन्तु हम निम्नलिखित रुप में स्वतंत्र परमाणु नीति पर चलेंगे :

1. सभी विकल्प खुले रहेंगे और भारत के सिविल तथा सैन्य परमाणु कार्यक्रमों की प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए सभी उपाए करेंगे।
2. बदलती यथार्थताओं के अनुसार विश्वसनीय–न्यूनतम निवारक बनाए रखेंगे।
3. सी.टी.बी.टी, एफ.एम.सी.आर और एम.टी.सी.आर सहित किसी भी नियंत्रण व्यवस्था पर सहमत होने से पूर्व सभी पार्टियों की आम सहमति बनाएंगे।

जिस प्रकार से कांग्रेस और प्रधानमंत्री ने भारत–अमरीकी परमाणु समझौते पर अनावश्यक और खेदजनक गोपनीयता बनाए रखी, उसे देखते हुए भाजपा का प्रस्ताव है कि संविधान में संशोधन लाया जाए, जिससे सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाए कि भारत के रणनीतिक कार्यक्रमों, क्षेत्रीय अखण्डता और आर्थिक हितों का अतिक्रमण करने वाले किसी भी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संसद की स्वीकृति/अभिपुष्टि दो–तिहाई मतों से प्राप्त की जाए।

खाद्य सुरक्षा : हम भारत को भूख–मुक्त बनाएंगे

भाजपा की राय में खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं है। आज खाद्य संकट की स्थिति जिस कदर विकासशील विश्व पर छाई है, उतनी पहले कभी नहीं थी। कांग्रेस द्वारा कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा से उत्पन्न संकट के कारण भारत खाद्य संकट के वास्तविक खतरे को झेल रहा है।

आज जब कांग्रेस शासनकाल में भारत खाद्य का निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा है तो इससे खाद्य सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तीन कारणों ने खाद्य की कमी बढ़ाने में मदद की है और इसके फलस्वरूप लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। **एक**, श्रमिकों और किसानों की वास्तविक आय मुद्रास्फीति की गति के अनुसार नहीं रह सकी, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। **दो**, यूपीए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है, क्योंकि सरकार की खाद्यान्न का आयात करने और उन्हें लोगों की आवश्यकताओं की रक्षा करने की बजाए अधिक ऊंचे दाम पर बेचने में अधिक रूचि रही। **तीन**, पिछले पांच वर्षों में 5.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाने से हर तरफ कुपोषण फैल गया। आर्थिक मंदी से स्थिति और अधिक बिगड़ी व भयावह हो गई, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा।

सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु और पर्याप्त रूप से गरीबी मिटाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर भाजपा भूख–मुक्त भारत निर्माण का प्रयास करेगी :

1. संशोधित व विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक वीपीएल परिवार को 2 रु. प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रतिमास 35 किलो चावल या गेहूं दिया जायेगा। खाद्य पदार्थों की आसानी से उपलब्धता हेतु 'फूड कूपन' जारी किया जाएगा।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए इसके विस्तार, सार्वभौमिकरण और सुधार के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाएगा।

3. परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे न जाने देने के लिए उपाए किए जाएंगे।

4. व्यापक रूप से फैले कुपोषण की समस्या को जोरदार ढंग से हल किया जाएगा, विशेष रूप से इसके लिए वर्तमान मिड–डे मील योजना के दायरे को बढ़ाया जाएगा।

5. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बेहतर अन्त्योदय अन्न योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

6. अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा और संदिग्ध औद्योगिक परियोजनाओं की उपजाऊ खेती भूमि के बदलाव को रोका जाएगा।

7. पर्याप्त स्तर पर खाद्य भण्डार बनाया जाएगा ताकि संभावित खाद्य संकट के कारण आवश्यकता पड़ने पर उपयोग हो सके क्योंकि इस संकट के कारण देश की स्थिति दुर्बल हो जाती है। और आयात, यदि असंभव न भी हो तो भी बेहद महंगे हो जाते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा : हम भारत को भविष्य के संकट से बचाएंगे

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा को और अधिक गंवा नहीं सकता है। इस मुद्दे के प्रति कांग्रेस की प्रतिक्रिया अत्यंत ही प्रासंगिक रही, जिसके कारण भारत अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा नहीं कर पाया जबकि पड़ोस के दूसरे देशों ने, विशेष रूप से चीन ने पूरी तरह से अपना मन बनाकर ऐसा हर प्रयास किया जिससे वह अपनी वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा के लक्ष्य को सिद्ध कर सके।

वर्तमान में भारत अधिकतर अपनी ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिए विशेषरूप से बिजली की मांग के लिए तेल और गैस के आयात पर निर्भर करता है, जबकि हमारी बिजली की प्रति व्यक्ति खपत विश्व के औसत 67 प्रतिशत हिस्सा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है, जिसमें से 70 प्रतिशत का आयात होता है। बाजार के उतार–चढ़ाव और हेरा–फेरी के कारण, जैसाकि सन 2008 में हुआ, हमें बाह्य कारकों पर टिकना पड़ता है।

भाजपा का प्रस्ताव है कि गैर–परंपरागत ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों के विकास में, विशेषरूप से बिजली उत्पादन के लिए, भारी निवेश किया जाए और अगले पांच वर्षों में कम से कम 1,20,000 मेगावाट बिजली 20 प्रतिशत नवीकृत ऊर्जा के साथ जोड़ी जाए। इसी प्रकार के प्रयास पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिकों के लिए किए जाएं ताकि आयातित तेल और गैस का बोझ कम हो सके तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

हाइब्रिड (मिश्रित) प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों के विकास के लिए भी पर्याप्त मदद दी जाएगी। नवीन ऊर्जा स्रोतों के विकास पर विशेष रूप से सौर– ऊर्जा, वायु ऊर्जा और रन–ऑन–रिवॅर टेक्नॉलाजी और बायो–फ्यूल पर विशेष बल दिया जाएगा। नवीन आविष्कारों को पुरस्कृत किया जाएगा।

लोगों तथा संस्थाओं को पावर ग्रिड में जमा करने तथा जरूरत के समय में निकालने की सुविधा देकर गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को वढ़ाया जाएगा।

अर्थव्यवस्था : मंदी से रोजगारपरक विकास की ओर

यूपीए सरकार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन व राजकोषीय अनुशासनहीनता ने एनडीए के कार्यकाल में हुए सभी लाभों को कूड़ेदान में डाल दिया है। भारत का विकास धीमा पड़ जाने से देशभर में लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था से तरलता समाप्त कर दी जिससे संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र पंगु बन गए हैं। अब वह अपनी त्रुटिपूर्ण नीतियों को उलटने के प्रयास में लगी है, परन्तु स्पष्ट है कि ऐसे अधूरे उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। स्थिति की मांग है कि सरकार दृढ़, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करें। भाजपा सही और स्वस्थ नीतियां बनाकर अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली ढंग से पटरी पर लाना चाहती है जिससे भारत रोजगार पैदाकर तेजी से विकास की राह पर चल पड़े।

इस उद्देश्य के लिए भाजपा की योजना इस प्रकार होगी :

1. निम्न कर तथा निम्न ब्याज दर व्यवस्था को लाना ताकि लोगों के पास अधिक धन हो तथा उनकी क्रय शक्ति बढ़े जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिले।
2. तीन लाख तक के आय, आयकर मुक्त होंगे। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पचास हजार रुपए आयकर से मुक्त होगा।
3. पेंशन द्वारा प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों के सभी आय, आयकर से मुक्त होंगे।
4. बचत को बढ़ावा देने के लिए कार्पोरेट्स तथा व्यापारिक आय को छोड़कर सभी बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त होंगे।
5. कृषि आय को अन्य आय के साथ मिलाकर कर निर्धारण व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।
6. सी.एस.टी. समाप्त कर दिया जाएगा तथा जी.एस.टी. 12–14 प्रतिशत के दर से लागू होगा, एफ.बी.टी. हटेगा। ESPOS तथा MAT कर व्यवस्था में सुधार लाकर न्यायसंगत बनाया जाएगा।
7. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काला धन को न्यूनतम करने के लिए कड़ी कार्यवाई की जाएगी। हम स्विस बैंक के खातों तथा अवैध ढंग से जमा किए गए धन (अनुमानतः 25,00,000 करोड़ रुपए से 75,00,000 करोड़ रुपए) को वापस लाना तथा आधारभूत संरचना के विकास, गृह निर्माण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए उसका उपयोग करना।
8. खोई नौकरियों को रोका जाए और रोजगारहीनता की प्रकृति की स्थिति को उल्टा जाए क्योंकि यह तो बेरोजगारी की स्थिति से भी बदतर है। जिसके लिए नौकरियों के बढ़ाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों, विशेषरूप से सड़क और राजमार्ग बनाने और नदियों को जोड़ने से सम्बन्धित क्षेत्र में भारी सरकारी निवेश किया जाएगा।
9. वैश्विक आर्थिक मंदी के द्वारा उत्पन्न संकट से हीरा उद्योग को उबारने के लिए हिन्दुस्तान हीरा निगम पूरा सहयोग देगी। यह तराशने तथा पॉलिस करने वाली इकाई को कच्चा हीरा उपलब्ध कराएगी तथा भविष्य के व्यापार के लिए बैंक का कार्य करेगी।

10. राजपथ एवं ग्रामीण सड़क निर्माण जिसे राजग के कार्यकाल में बढ़ावा मिला था उसे वापस सरकार की प्राथमिकताओं में लाया जाएगा। हम 15 से 20 कि.मी. राजपथ का निर्माण प्रतिदिन करेंगे।

11. भवन–निर्माण ऋणों की ब्याज दरें कम की जाएंगी ताकि आवास कम खर्चीले बन सके, लोगों की पहुंच में रहे और स्थिर पड़ी रियल एस्टेट क्षेत्र में फिर से जान फूंका जा सके, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई हैं।

12. क्रेडिट उपलब्धता को आसान बनाकर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

13. एसएमई और रिटेल क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, जिनमें बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हो सकती है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान हो सके। एसएमई के वर्गीकरण की कसौटी की समीक्षा की जाएगी।

14. बेहतर उत्पादकता और अधिक पूंजी निर्माण के लिए सुधार किए जाएंगे।

15. 50 पर्यटन स्थलों को चिह्नित कर उनके आधारभूत संरचना तथा संचार में भारी निवेश कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

16. भारत में काम कर रहीं विदेशी कम्पनियों पर काऊंटर वेलिंग प्रतिबंध लगाए जाएंगे, विशेष रूप से ऐसे सेवा क्षेत्रों में, जो अपने–अपने देशों में घरेलू कानूनों के कारण वैध वर्क वीज़ा वाले भारतीय कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाते हैं।

17. ऐसी नियामक निकायों को मजबूत किया जाएगा जो कम्पनियों के कार्य प्रदर्शन और लेखा–जोखा पर निगरानी रखने का काम करते हैं ताकि ऐसे कार्पोरेट छल–कपट रोके जा सके, जिनसे भारत की छवि पर दाग पड़ते है और साथ ही बाजार तथा निवेशकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

18. भारतीय उत्पादों को भारत का गौरव बनाया जाएगा और भारतीय ब्रांडों को विश्वभर में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा।

19. उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित किए बिना खपत के स्तर को समुचित बनाया जाएगा।

शहरी भारत : भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए

जैसे–जैसे राष्ट्रीय अर्थवयवस्था विकास करेगी तथा रोजगार उत्पन्न होंगे। वैसे–वैसे शहरी केन्द्रों पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। राज्य सरकारों को वर्तमान के शहरों के नवीकरण तथा पुनर्जीवित करने के साथ–साथ झुग्गी–झोपड़ियों के स्थान पर वहन करने योगय स्वास्थ्यपरक आवास निर्माण हेतु सहायता के अलावा भाजपा शहर विकास नीति में आमूल–चूल परिवर्तन करेगी। हम भविष्य के चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निम्नलिखित कदम उठाएंगे :

1. 'सभी के लिए घर' की नीति का अनुसरण करते हुए प्रतिवर्ष एक लाख आवास इकाई का निर्माण किया जाएगा।

2. पांच वर्षों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना एवं सुविधा के साथ 15 नये शहरों का निर्माण किया जायेगा।

3. स्वच्छ एवं स्वास्थ्य शहरी जीवन के लिए वर्तमान के सभी शहरी केन्द्रों में मूलभूत आधारभूत संरचना तथा जल सुविधा, निकास व्यवस्था, सड़कें बिजली, पर्यावरण तथा मल प्रंबधन में सुधार किया जाएगा।

4. शहरों से सटे क्षेत्रों को 'रुअर्बन' अवधारणा के अन्तर्गत विकसित किया जायेगा ताकि शहरों के तरफ पलायन न्यूनतम हो। भौतिक आधारभूत सुविधा शहरी होगी जबकि हृदय और आत्मा ग्रामीण।
5. शहरी संपत्ति तथा अधिकार प्रमाणपत्र का जीआईएस आधार पर संकलन।
6. शहरों में यातायात पर अत्यधिक वाहन भार से उभरती समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

कृषि : ऋण–मुक्त किसान, समृद्ध भारत

हमारे कृषि क्षेत्र की दयनीय स्थिति का इससे बढ़कर खराब और क्या उदाहरण मिल सकता है कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे है। जहां एक तरफ यूपीए सरकार सक्रिय रूप से खाद्यान्नों के आयात को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ उसने भारत के किसानों की बदहाली की अनदेखी की है। भाजपा तीन अत्यंत गंभीर विषयों का समयबद्ध ढंग से समाधान करेगी : किसानों को निश्चित आय दिलाना, बढ़ते कर्जों के बोझ से किसानों को मुक्त करना तथा, कृषि में और अधिक सार्वजनिक निवेश करना। बाकी सभी बातें तो टाली जा सकती है, परन्तु कृषि की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भारत के किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए भाजपा निम्नलिखित का प्रस्ताव करती है।

1. कृषि ऋण माफ किए जाएंगे।
2. किसानों के ऋणों के सम्पूर्ण पहलुओं के अध्ययन के लिए एक आयोग की स्थापना करना और छह महीनों के भीतर इस गहराते संकट का समाधान करना।
3. बैंकों से किसानों को अधिक से अधिक 4 प्रतिशत दर से ब्याज का निर्धारण करना।
4. वृद्ध एवं असहाय किसानों के लिए पेंशन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
5. खेती में काम आने वाले बीज आदि सभी वस्तुओं की लागत को कम करके इसे लाभप्रद बनाना और साथ ही उपज बढ़ाना एवं मूल्य निर्धारित करने के वर्तमान तरीकों की समीक्षा करना।
6. कृषि आय बीमा योजना को लागू किया जाएगा जिसके द्वारा दाम तथा उत्पाद दोनों की बीमा की जायेगी। ऐसी अवस्था में जबकि पैदावार में हानि हो तब इस कार्यक्रम के तहत किसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी ताकि उनकी आय में कमी न हो।
7. प्रकृति–अनुकूल खेतीबाड़ी को बढ़ावा देना तथा जमीन की गुणवत्ता ह्रास को रोकने के लिए जैविक कृषि की पहल करना। जैविक उपज के लिए विशेष मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराना।
8. अपव्ययता कम करने के लिए मूल्य–वर्धित योजनाएं शुरू करना और खाद्य–प्रसंस्करण इकाईयों में निवेश करना ताकि ग्रामीण युवाओं के लिए और अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध हो सकें।
9. पांच वर्षों में साढ़े तीन करोड़ अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। इससे गांवों में रोजगार के साथ–साथ किसानों को लाभ भी प्राप्त होंगे। बेहतर जल प्रबंधन और चैक बांधों के उपयोग के साथ–साथ ड्रिप सिंचाई शुरू करना।

10. उत्कृष्ट प्रकार की बिजली, बीज तथा कृषि में काम आने वाली अन्य वस्तुओं को सुनिश्चित करना।

11. कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार द्वारा निर्धारित प्रवृत्ति को उलटकर कृषि क्षेत्र में भारी निवेश किया जाएगा और इस प्रकार कृषि क्षेत्र में विकास को उद्योग और सेवा क्षेत्रों के समकक्ष बनाया जाएगा।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य सेवाओं को मजबूत करना।

13. रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने तथा आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी के बागबानी, पुष्पकृषि और मत्स्यपालन को बढ़ावा देना।

14. चारागाह के लिए भूमि उपलब्ध कराना एवं तालाबों एवं जल स्रोतों के रख–रखाव की व्यवस्था।

जी एम बीज

उपभोक्ताओं पर भूमि, उपज और जैविक प्रभाव के दीर्घकालीन असर को रोकने के लिए बिना सम्पूर्ण 'डेटा' प्राप्त किए किसी भी आनुवांशिकी बीजों को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तथा आनुवंशिकी संशोधित बीजों से तैयार किए गए सभी खाद्य और खाद्य उत्पादनों पर ''जीएमफूड'' से ब्रांड किया जाएगा।

आधारभूत संरचना हेतु भूमि अधिग्रहण

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने काफी समय से एक अपारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भूमि अर्जित की है जिसे ''सार्वजनिक प्रयोजन'' के पर्दे के अन्तर्गत प्राइवेट पार्टियों को सुपुर्द कर दिया जाता है। संप्रग सरकार ने 572 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का अनुमोदन किया है जिनके अन्तर्गत 50,000 एकड़ क्षेत्र सम्मिलित है जो सिंगापुर के आकार से तीन गुना है।

किसानों के हित की रक्षा के लिए भाजपा राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अपनायेगी। इसके कार्यान्वयन की देखरेख राष्ट्रीय भूमि उपयोग प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा जो राज्य भूमि उपयोग प्राधिकरण के साथ मिलकर भूमि प्रबंधन सुविधा एवं नियमन के लिए कार्य करेगी। राष्ट्रीय भूमि उपयोग प्राधिकरण के कार्य एवं अधिकार दूसरे नियामक संस्थाओं के समान होंगे।

वर्तमान के कानून की भूमि अधिग्रहण संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए भाजपा संशोधन लाएगी। किसान को आधारभूत संरचना हेतु अधिग्रहीत भूमि के लिए बाजार मूल्य से मुआवजा दिया जाएगा। भाजपा उपजाऊ कृषिभूमि को औद्योगिक अथवा व्यापारिक परियोजनओं के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित नहीं करेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि के पूरे मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक समीक्षा के बाद तथा कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखने और खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर कार्रवाई की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता

कोई भी नया एकतरफा अथवा बराबरी से कम समझौते से बचकर भाजपा हर द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते में देशहित की रक्षा करेगी। हमारी सरकार विशेषकर खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु अतीत की सभी वचनबद्धताओं पर पुनः वार्ता करेगी। कोई भी सुविधा एवं छूट को हम वापस लेने में नहीं झिझकेंगे

जिनके बदले हमें इसी प्रकार की सुविधा एवं छूट ना मिली हो। भाजपा अपने व्यापक तकनीकी मानव शक्ति के हितों की रक्षा करेगी तथा भविष्य के समझौते में व्यापार संबंधों के प्रस्तावों के आधार पर उनके लिए अधिकतम बाजार उपलब्ध कराएगी।

खुदरा व्यापार

भाजपा रोजगार एवं सेवा उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में खुदरा व्यापार के महत्व को समझती है अतः खुदरा व्यापार में गैर कॉरपोरेट क्षेत्र में प्रभुत्व का समर्थन करती है। इस हेतु यह खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देगी। खुदरा व्यापार क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोजक है जो लगभग चार करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

भाजपा निम्नलिखित कदम उठाएगी :

1. हमारी सरकार छोटे एवं अति लघु खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
2. ऐसे विक्रेताओं को हम कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन ऋणों पर ब्याज दर चार प्रतिशत से अधिक ना हो।
3. अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्ति तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यापारियों के लिए 'स्लैब' आधारित चक्रवृद्धि कर की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा।
4. सभी व्यापारियों के लिए पेंशन कार्यक्रम सहित कल्याण के कार्यक्रमों के अनुशंसा के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति बनायी जाएगी।

श्रम

भाजपा कामगार वर्ग के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम सुधारों के काफी समय से लंबित मुद्दे पर समग्रतापूर्ण कार्रवाई करेगी। भाजपा ऐसा श्रमिकों तथा नियोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं के साथ घनिष्ठ परामर्श करके करेगी। हमारी पार्टी निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम को उपयुक्त रूप में संशोधित करके ट्रेड यूनियनों के चुनाव हेतु गुप्त मतदान को अनिवार्य बनाना।
2. सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका निभाने के लिए ट्रेड यूनियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करना।
3. संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ''कार्मिक बैंक'' स्थापित करना।
4. छंटनी के शिकार किसी भी श्रमिक को पुनः तैनाती के प्रथम विकल्प के साथ यथेष्ट प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना।
5. राष्ट्रीय बाल श्रमिक आयोग की स्थापना करना।
6. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी में सुधार तथा सुरक्षा तंत्र को व्यापक करना।

सहकारिता क्षेत्र

सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाजपा निम्नलिखित का सक्रिय तौर पर अनुसरण करेगी :

1. सहकारी बैंकों को आयकर मुक्त करना।
2. राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हेतु सहकारी समितियों के लिए मॉडल विधि तैयार करना।
3. विद्यमान कमियों और विसंगतियों को दूर करने के लिए बहु–राज्यीय सहकारिता अधिनियम को संशोधित करना।
4. सहकारी संस्थाओं हेतु केन्द्रीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ताओं के अधिकारों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए भाजपा एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी :

1. उपभोक्ता विवादों का समाधान करने के लिए सेवा विशेष मध्यस्थता न्यायालयों की स्थापना।
2. एक ऐसा तंत्र सृजित करना जिसके द्वारा उपभोक्ता सरकार के साथ संरचित परामर्शी प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं।
3. उपभोक्ता उत्पाद लेबिलों को और अधिक सूचनापरक बनाना।

युवा शक्ति

पश्चिमी राष्ट्रों की जनसंख्या के विपरीत भारत की जनसंख्या दिनों–दिन युवा हो रही है। हमारी आधे से अधिक जनसंख्या की आयु 25 वर्ष तथा इससे कम है; लगभग दो तिहाई लोगों की आयु 35 वर्ष तथा इससे कम है। युवाओं की आशाएं तथा आकांक्षाएं बढ़ती साक्षरता तथा बढ़ते ज्ञान के कारण ऊंचाई की ओर हैं।

यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उनकी आशाओं तथा आकांक्षाओं को साकार करने में सहायता करे और उन्हें चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसर में बदलने में सक्षम बनाए। भाजपा ''युवा भारत'' के सरोकारों के अनुरूप नीति निर्माण करके तथा युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य को सामने रख कर इस कार्य को पूरा करेगी। ये युवा ही हैं जो विस्मयकारी ज्ञान पुंज के रूप में राष्ट्र के अभ्युदय के उत्प्रेरक तथा वाहक होंगे। भाजपा के घोषणा पत्र को युवाओं की आशाओं तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रारूपित किया गया है।

युवाओं में राष्ट्रीय भावना जगाने व उन्हें राष्ट्र निर्माण में शामिल करने हेतु हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय केडेटकोर को एक प्रभावकारी साधन के रूप में पुनर्विलोकित, पुनर्जीवित व पुनकार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

भाजपा का ''राष्ट्रीय ज्ञान उद्भवन कार्यक्रम'' के नाम से एक अनोखा कार्यक्रम प्रारंभ करने का इरादा है। इसमें समाज के सभी वर्गों से प्रतिभाशाली छात्रों हेतु उद्भवन केन्द्रों की स्थापना करना शामिल होगा। शुरू में, सबसे अधिक मेधावी छात्रों में से कम से कम एक प्रतिशत छात्रों को ''उद्भवन केन्द्रों'' पर परामर्श–प्रशिक्षण पाने के लिए तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए यथेष्ट संसाधन आवंटित किए जाएंगे।

छात्रों के लिए शिक्षण–ऋण सहित बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय छात्र बैंक स्थापित किया जाएगा।

शिक्षा

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति प्राप्त करने के लिए भाजपा अपनी शासन प्रणाली में शिक्षा को उपयुक्त स्थान देगी। शिक्षा सरकार का ऐसा उपकरण होगा, जिसके द्वारा गरीबी घटाई जाएगी, स्वास्थ्य सुधारा जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा और लैंगिक समानता प्रोत्साहित की जाएगी। शिक्षा के लिए केन्द्रीय धन के आवंटन को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र को शामिल करते हुए हमारा लक्ष्य होगा कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत व्यय हो।

21वीं शताब्दी के लिए एक व्यापक नीति प्रस्तावित करने हेतु एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रक्रिया को समय की आवश्यकताओं और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया जाएगा। प्रत्येक शिशु तक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच–सीमा को बढ़ाते हुए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट रखने वालों तथा न रखने वालों के बीच विभाजन (digital divide) को समाप्त कर दिया जाएगा।

मूल्याधारित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, घुमन्तु जनजातियों तथा अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा और उनकी शिक्षा जिनको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, पर विशेष बल दिया जाएगा। व्यापक सुधार लाने के लिए परीक्षा प्रणाली का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के एजेंडे के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:–

स्कूल शिक्षा

1. राजग द्वारा 2002 में प्रारम्भ ''सर्वशिक्षा अभियान'' की सफलता–गाथा को गुणवत्ता, विषयवस्तु और समर्थन पद्धति की दृष्टि से और अधिक सुदृढ़, विस्तारित तथा साकार किया जाएगा। इस हेतु अक्षय पत्र कार्यक्रम एक आदर्श के रूप में देखा जाएगा।
2. दोपहर के भोजन की योजना के कार्यान्वयन को आधुनिक प्रबंधन प्रविधियों के अनुरूप पुनर्बलित किया जाएगा।
3. कौशल–अर्जन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
4. प्राथमिक विद्यालयों की समय–सीमा तथा अवकाश को लचीला बनाया जाएगा और इसका निर्णय स्थानीय समुदायों तथा अभिभावक –शिक्षक संघों द्वारा किया जाएगा।
5. माध्यमिक शिक्षा को त्वरित गति से सर्वजनीन बनाया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा।
6. राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को सभी प्रकार की सहायता उपलबध करायी जाएगी।
7. शिक्षा प्रणाली में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के बीच निकट संबंध बढ़ाए जाएंगे।

व्यावसायिक शिक्षा

1. कौशल पुनश्चर्या तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का व्यापक तंत्रजाल स्थापित किया जाएगा। पारम्परिक रूप से या निजी पहल के माध्यम से अर्जित कौशलों के प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी।

2. प्रत्येक उस बच्चे को जो ऐसा करने का इच्छुक है, सामान्य व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संरचना तथा सुविधाएं सृजित की जाएंगी।
3. कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति माता–पिताओं और समुदायों के बीच अभिवृत्तिपरक परिवर्तन उद्‌भूत करने के लिए एक नवीन देशव्यापी पहल शुरू की जाएगी।
4. कुशल मानवशक्ति, जोकि परस्पर लाभकारी होती है, को तैयार करने के लिए उद्योग क्षेत्र से आज की भूमिका से कहीं बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

1. उच्च शिक्षा की संस्थाओं को वास्तविक व्यवहार में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तथा इसके साथ–साथ उसे जवाबदेह भी बनाया जाएगा।
2. उच्च शिक्षा के प्रति पहुंच का उसकी गुणवत्ता या विषयवस्तु घटाए बिना, विस्तार किया जाएगा। व्यापक शैक्षिक प्राथमिकताओं के दायरे तथा ग्रुपों हेतु निजी पहल को प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. मानवशक्ति को योजनाबद्ध किया जाएगा तथा उसे सक्रिय व प्रभावी बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र के लिए शीर्ष स्तरीय मानवशक्ति तैयार करती है। अतः इसकी गुणवत्ता और सुसंगति बहुविध प्रभावी होती है।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नियुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। आयोग की रिपोर्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में सहायक होगी जो एनपीई –1986/92 का स्थान लेगी। यह आयोग भारत को ज्ञान–शक्ति बनाने के लिए शैक्षिक योजनाओं रणनीतिक पद्धतियों, सामग्री और अनुसंधानों को लगातार ध्यान में रखेगा तथा उच्चतर ज्ञान और शोध की अनेक संस्थाओं को इस रूप में विकसित करेगा कि वह अर्न्तराष्ट्रीय ज्ञान तथा अनुसंधान के केन्द्र बन सकें।

रैगिंग कड़े दंड के प्रावधानों के साथ आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

रैगिंग के खतरे से निपटने के लिए भाजपा एक कानून बनाएगी। कानून लागू करने में असफल रहने पर विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारियों को दोषी माना जाएगा।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

भाजपा सत्ता में आने पर सभी नागरिकों की खुशहाली और भारत की प्रगति के लिए तथा विश्वपटल पर उसके एक शक्ति के रूप में अभ्युदय के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को आक्रामक ढंग से प्रोत्साहित करेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चन्द्रयान – भारत का चन्द्र अभियान का वायदा किया था जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा किया। अब हम इस अभियान को एक कदम आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं: चन्द्रयान–II अगले पांच वर्षों में भारतीयों को चन्द्रमा पर पग रखते हुए देखेगा।

हम भारत को 'सुपर कम्प्यूटर' के युग में ले जाएंगे तथा राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता एवं वैज्ञानिक शोध एवं विकास को सशक्त करेंगे।

भाजपा का विश्वास है कि यदि हमारे समाज के सभी वर्गों की खुशहाली को बढ़ाने में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को निर्णायक तथा लाभकारी भूमिका निभानी है तो इसमें नई जीवन्तता का संचार करना होगा। देश के लोगों–विशेषतया समाज के वंचित वर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, सबके वास्ते सम्पत्ति सृजित करने, विश्व स्तर पर भारत को स्पर्धाशील बनाने, प्राकृतिक संसाधनों का लगातार उपयोग करने, पर्यावरण को संरक्षित करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भाजपा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार करती है।

हमारे उद्देश्य निम्नलिखित पर केन्द्रित होंगे :

1. लोगों के लिए निरंतरता के साथ खाद्य, कृषि, पोषण पर्यावरण, जल, स्वास्थ और ऊर्जा सम्बन्धी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. गरीबी उन्मूलन, जीविका, सुरक्षा संवर्धन, भूख तथा कुपोषण हटाना, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निम्न कोटि के धंधे और क्षेत्रीय असंतुलन कम करना, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षमताओं का प्रयोग करके अपने पारम्परिक ज्ञान कोष की सहायता के साथ रोजगार सृजन करने हेतु प्रत्यक्ष और जमकर प्रयास करना।
3. उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण तथा संधारण करना जो उपयुक्त रोजगार अवसर सृजित करने के साथ–साथ चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य–स्तर को ऊंचा उठाकर उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाएंगे।
4. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यकलापों में नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना और उनकी पूर्ण तथा समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. सभी शैक्षणिक तथा अनुसंधान–विकास संस्थाओं के कार्य–चालन में आवश्यक स्वायतत्ता तथा स्वतंत्रता प्रदान करना। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम अपने सामाजिक दायित्वों तथा प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह निर्वाह करती है।
6. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगतियों का उपयोग करके राष्ट्रीय रणनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों को प्राप्त करना।
7. अर्थव्यवस्था तथा समाज से सुसंगत क्षेत्रों में अनुसंधान तथा नवीन परिवर्तन को प्रोत्साहित करना जो विशेषतया प्राइवेट तथा सार्वजनिक संस्थाओं के बीच निकट का तथा फलदायी अन्तर्सम्बन्ध बढ़ाकर प्राप्त किया जाएगा। कृषि (विशेषतया मिट्टी और जल प्रबंधन, मानव तथा पशु पोषण, मात्स्यिकी), जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पुनः नवकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, संचार तथा परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मुख्य महत्व वाली प्रौद्योगिकियों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और पदार्थ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व दिया जाएगा।
8. एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रणाली स्थापित की जाएगी जो सभी प्रकार के आविष्कर्ताओं द्वारा बौद्धिक सम्पदा के प्रजनन तथा संरक्षण को अधिकतम प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
9. ऐसे युग में जहां सूचना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की कुंजी होती है, यह सुनिश्चित करना कि सूचना तक त्वरित पहुंच जो गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों क्षेत्रों में हो, सस्ती लागत पर सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही भारतीय मूल के डिज़ीटाइज़्ड, वैध तथा प्रयोज्य अंश का सृजन किया जाएगा।

10. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तथा प्राकृतिक आपदाओं विशेषतया बाढ़, तूफान, भूकम्प, सूखा और भूस्खलन की भविष्यवाणी करने, उनका निवारण करने और शमन करने के लिए अनुसंधान और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।
11. राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग को बढ़ाना तथा इसे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य तत्व बनाना।

भाजपा निम्नलिखित पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी :

1. विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरी संस्थाओं में आधारभूत अनुसंधान बढ़ाने हेतु नया वित्त–पोषण तंत्र बनाना।
2. एक व्यापक राष्ट्रीय नवीकरण प्रणाली सृजित करके नवीकरण को बढ़ाना।
3. उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच सहक्रिया स्थापित करना। स्वायत्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संगठनों का सृजन, विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहयोगी संगठनों के रूप में किया जाएगा जिससे उनके द्वारा दी गई जानकारी को उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया जाए। ठोस औद्योगिक लक्ष्यों के प्रति प्रत्यक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयासों को बढ़ाने में सहायता करने के लिए उद्योग जगत को शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं को अपनाने या उनको समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. हमारी अपनी लम्बी तथा समृद्ध परंपरा पर आधृत देशज ज्ञान को और अधिक विकसित तथा सटीक बनाना ताकि उससे धन और रोजगार सृजन का प्रयोजन सिद्ध हो सके।
5. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को एक स्वतःपूर्ण तथा सुभिन्न क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाएगा बल्कि उन्हें बहुविध सामाजिक–आर्थिक, प्रौद्योगिकीय तथा राजनैतिक अवधारणाओं से संगति रखने वाले प्रभावी नीति–उपकरण के रूप में देखना होगा। भारतीय अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों की मदद से स्पर्धात्मक बौद्धिक सम्पदा के प्रजनन और पूर्ण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

भाजपा का विश्वास है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को एक नए और विकासशील भारत का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए जो अपनी दृढ़ लोकतांत्रिक तथा आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखता है, जो न केवल सैनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी सुरक्षित रहता है। हमारी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति इस तरह बनाई और कार्यान्वित की जाएगी ताकि वह हमारे बृहत्तर मानव परिवार वाले विश्व–दृष्टिकोण के साथ संगति बनाए रखें। भाजपा सुनिश्चित करेगी कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सही अर्थों में भारत के लोगों और वस्तुतः सारी मानवता की उन्नति में सहायक साबित होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी : भारत ई–सुपरपावर बनने की ओर

राजग सरकार ने आईसीटी (ICT) को अपने नीतिगत क्षेत्र का एक प्रमुख बिन्दु बनाया था। यह हमारी उपलब्धियों में से एक थी। भाजपा का इरादा है कि उसी उत्साह और प्रयोजन के साथ आईसीटी का अनुसरण किया जाए। (एक अलग आईटी विजन डाक्युमेंट जारी किया गया है जिसमें भाजपा की नीतियां के विशिष्ट ब्यौरों का उल्लेख है।)

सत्ता में आने पर हमारी पार्टी निम्न पहल करेगी :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 करोड़ नए सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार पैदा करना।
2. विद्यार्थियों के लिए उनकी सामर्थ्य के भीतर खरीदे जा सकने वाले कम्प्यूटर उपलब्ध कराना।
3. सभी स्कूलों तथा कॉलेजों के पास इन्टरनेट समर्थित शिक्षा व्यवस्था हो।
4. एक राष्ट्रीय डिज़ीटल राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ करना।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सबकी पहुंच के अन्दर लाना।
6. इन्टरनेट उपयोग करने वालों की संख्या मोबाइल उपयोग करने वालों के बराबर करना।
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय टेलीमेडीसन सेवा–तंत्र से जोड़ना।
8. कृषि, ग्रामीण–विकास, एस.एम.ईज़, फुटकर व्यापार और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में आई टी के प्रयोग का व्यापक विस्तार करना।
9. केन्द्र से लेकर पंचायतों तक प्रत्येक सरकारी कार्यालय को नेशनल ई–गर्वनेंस प्लान में शामिल करना। गुजरात में लागू 'ई–ग्राम विश्व ग्राम' योजना को राष्ट्रभर में कार्यान्वित करना।
10. सभी डाकघरों को आईटी–समर्थित मल्टी–सर्विस आउटलेटों में परिवर्तित किया जाएगा। सभी टेलिफोन बूथों को परिवर्धित करके इंटरनेट कियोस्क बनाया जाएगा।
11. ई–भाषा : भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मिशन।
12. महिलाओं अजा/अजजा, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आईटी के दायरे में लाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।
13. भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु आईटी का प्रयोग करना।
14. सरकार 'ओपन स्टेंडर्ड' और 'ओपन सोर्स' 'सॉफ्टवेयर' को मानकीकृत करेगी।
15. आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू आईटी हार्डवेयर उद्योग को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा।
16. इंटरनेशनल बैंडविथ चार्जों को न्यूनतम बनाने के लिए डोमेस्टिक होस्टिंग उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

खेल को बढ़ावा : स्वस्थ्य, प्रतिस्पर्धात्मक युवा का निर्माण

विविध अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को सशक्त बनाने के लिए भाजपा सभी खेल गतिविधियों में निवेश करेगी। क्योंकि आगामी पांच वर्षों में खेल की दुनिया में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे उद्देश्य के लिए यह आवश्यक शर्त है। हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे।

1. विद्यालय पाठ्यक्रम में खेल अनिवार्य रूप से शामिल करना। इसके लिए राज्य सरकारों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उचित प्रावधानों के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेल सुविधा एवं आधारभूत संरचना का विस्तार किया जाएगा। यूजीसी, केंद्रीय

विद्यालय संगठनों तथा राज्य सरकारों के माध्यम से खेल तथा युवा गतिविधियों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु 5000 करोड़ रूपये आवंटित किए जाएंगे।

2. कम उम्र में ही असाधारण खेल प्रतिभा को चिह्नित करने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। चुने गए प्रतिभा संपन्न बालक एवं बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में चल रहे ग्रामीण खेल कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव प्रत्येक ग्रामों तक पहुंचाकर प्रतिभा को चिह्नित कर निखारा एवं विकसित किया जाएगा।
3. सर्वोत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक, विदेश में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण तथा खेल प्रशिक्षकों की कला को बेहतर कर विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कार्यक्रम बनाया जाएगा तथा इसके लिए 1000/– करोड़ की राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जाएगी।
4. राष्ट्रीय, राष्ट्रकुल, एशियन तथा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में आकर्षक कैरियर स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान में केवल ग्रुप 'सी' एवं 'डी' पदों में आरक्षण की व्यवस्था में संशोधन कर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ग्रुप 'ए' एवं 'बी' में भी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को ग्रुप 'ए' एवं 'बी' में नियोजित करने की सलाह दी जाएगी।
5. खेल के विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए उद्योग समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर खेल प्रायोजित करने तथा आधारभूत संरचना विकसित करने पर उन्हें कर लाभ दिया जाएगा।
6. सभी खेलों को बढ़ावा देने वाले विभिन्न एजेंसियों के प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल एवं जवाबदेह बनाया जाएगा। इन सभी संस्थाओं को यह मानने को प्रोत्साहित किया जाएगा कि हमारे खिलाड़ी खेल में उत्कृष्टता प्राप्ति करने की हमारी नीति के केंद्र में हैं। अतः इनके कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
7. एमपी–लैड कार्यक्रम में संशोधन किया जाएगा ताकि सांसद अपने फंड से खेल एवं एडवेंचर गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा सकें।
8. सभी नई हाउसिंग कॉलोनियों में खेल सुविधा अनिवार्य होगा।
9. खेल विकास के लिए योजना आवंटन बढ़ाया जाएगा तथा राज्य सरकारों को खेल को बढ़ावा देने के उनके दायित्वों को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नारी सशक्तिकरण : 'नारी शक्ति' सर्वांगीण विकास की कुंजी

भाजपा के राजनीतिक विरोधी नारी सशक्तिकरण की बहुत बातें करते हैं किन्तु उन्होंने नारियों को सशक्त बनाने के लिए सही अर्थों में कुछ नहीं किया है। भाजपा ने राज्य विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने का वादा किया था किन्तु कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे विधान को प्रस्तुत करने के लिए न तो विश्वास था और न ही उसके पास गठबंधन के अपने सहयोगियों का मुकाबला करने का साहस जो नारियों के राजनीतिक सशक्तिकरण का विरोध करते हैं। भाजपा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और सत्ता में लौटने के बाद इस दिशा में कार्य करेगी।

कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित करेगी :

1. लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने मध्य प्रदेश में भारी सफलता अर्जित की है, को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि प्रत्येक बालिका कम से कम महाविद्यालय पूर्व शिक्षा विद्यालयों में प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बालिका को कक्षा पांच तक पहुंचने पर 2,000 रूपये, कक्षा नौ तक पहुंचने पर 4,000 रुपये, कक्षा 11 तक पहुंचने पर 7,500 रुपये तथा 1,10,000 रूपये 21 वर्ष पूरा करने पर दिया जाएगा। कक्षा 6 से प्रतिवर्ष हर बालिका को 2,400 रुपये की आर्थिक सहायता तब तक दी जायेगी जब तक वह विद्यालय में रहेगी।

2. गरीबी रेखा से नीचे, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति तथा लघु एवं सीमांत किसान परिवारों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया 'भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण' एवं 'नारी समृद्धि योजना' को लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लाभ पाने वाली महिला के नाम पर बैंक खाते खोले जाएंगे जो कि विशेष रूप से तैयार किए गए स्मार्ट कार्ड के माध्यम से केवल लाभार्थी महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा सकेगा। इन बैंक खातों में 1500 रुपए शुरुआती तौर पर जमा किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक खातों के खोलने तथा लाभार्थी को खाता प्रबंधन के संबंध में सहायता देने हेतु परामर्शदाता के रूप में रोजगार सृजन भी होगा।

3. राज्य सरकारों के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत विद्यालय जा रही गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की बालिकाओं को साइकिल प्रदान किया जाएगा।

4. स्थानीय स्वशासन विशेषतया पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का पुनर्विलोकन करना तथा उनकी दशा में सुधार लाना।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक महिला के पास जीविकोपार्जन की व्यवस्था है, सभी श्रेणी की कार्यरत महिलाओं की आय को सुधारने के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय नीति अंगीकार करना। मजदूरियों में– चाहे वो संगठित या असंगठित क्षेत्र की हों लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया जाएगा।

6. सम्पत्ति, वैवाहिक और सहवास अधिकारों में लिंग आधारित असमानताओं को दूर करना।

7. ''स्वावलम्बन'' तथा एसटीईपी (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लायमेंट प्रोग्राम) जैसे कार्यक्रमों का समर्थन करना जो स्वयं सहायता ग्रुपों के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता को बढ़ाते हैं। जो महिलाएं हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, रेडिमेड वस्त्र निर्माण आदि में लगी हुई हैं उनके लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर तथा माओवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के अनुपालन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा।

8. महिलाओं द्वारा प्रोत्साहित अथवा बड़ी संख्या में महिलाओं को नियोजित करने वाले उद्यमों को ''फास्ट ट्रैक'' सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्हें प्राथमिकता दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

9. बालिका भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, दुर्व्यापार, बलातसंग और घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों का कड़ाई से लागू किया जाएगा। दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा ताकि यह सुनिधित किया जा सके कि बलात्कार पीड़ित के अधिकार कम न हों तथा दोषी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ अथवा कानून की पकड़ से न बच सकें। राज्य सरकारों के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरु किया जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

10. अकिंचन महिलाओं और आपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से बने कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के सहयोग से और अधिक मजबूती दी जाएगी।

11. वर्किंग महिला होस्टलों के विद्यमान तंत्र जाल को बढ़ाने और सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

12. आंगनवाड़ी कर्मियों एवं सहायकों जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम की रीढ़ हैं के वर्तमान के अत्यंत कम वेतन को दोगुना किया जाएगा।

महिला–अधिकारों का संरक्षण

संविधान के अनुच्छेद–44 में एक समान सिविल कोड को राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित किया गया है। जब तक भारत एक समान सिविल कोड को अंगीकार नहीं करता है तब तक वास्तविक अर्थों में किसी तरह की लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती। यह एकसमान सिविल कोड ही है जो सभी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देता है। इस संविधान आदेशित निर्देश की ओर प्रथम कदम के रूप में भाजपा एक समान सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन करेगी। ऐसा करते समय सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं का ध्यान रखा जाएगा और उनका आधुनिक समय के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाएगा।

दलित, पिछड़े एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : हम सामाजिक न्याय एवं समरसता सुनिश्चित करेंगे।

भाजपा सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। पहचान की राजनीति, जो दलितों अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों का कोई फायदा नहीं पहुंचाती, का अनुसरण करने के बजाय भाजपा ठोस विकास एवं सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करेगी। भाजपा सकारात्मक कार्रवाई सहित सामाजिक कल्याण नीतियों में आर्थिक कसौटी को समाविष्ट करने की ओर कार्य करेगी।

हमारे समाज के दलित, पिछड़े एवं वंचित वर्गों के लिए उद्यमशीलता एवं व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाया जाएगा ताकि भारत की सामाजिक विविधता पर्याप्त रूप से आर्थिक विविधिता में प्रतिबिम्बित हो।

समाज में दलित जनजातीय तथा कमजोर वर्गों के उत्पीड़न से कड़ाई से निपटा जाएगा।

अति पिछड़े वर्गों को तत्काल सरकारी सहायता की आवश्यकता है। उन तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यूपीए शासन के साढ़े पांच करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया गया है, भाजपा प्रभावी नीतियां और लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम बनाकर उक्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करेगी।

वंचित समुदायों को निम्नलिखित सुविधा जुटाने के लिए एक मिशन–मोड अप्रोच स्वीकार की जाएगी :

1. सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से विशेष शिक्षा सुविधाएं जुटाना।

2. जल, स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था करना।

समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी विकास योजनाओं में एक विशेष घटक निर्मित किया जाएगा। अति पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ''सीखो और कमाओ'' योजनाओं के माध्यम से कौशलवर्द्धन को प्रोत्साहित करने के लिए ''ईबीसी डेवलपमेंट बैंक'' स्थापित किया जाएगा।

भाजपा अ.जा/अनु.ज.जाति तथा पिछड़े वर्ग के अलावा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में कोटा लागू करने का प्रस्ताव करती है।

जनजातीय विकास : स्थाई विकास के लिए दीर्घकालीन नीति

यह एक स्थापित तथ्य है कि टुकड़ों में किए गए प्रयासों से जनजातियों का विकास नहीं हो पाया। अतः भाजपा जनजातियों के सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वांगीण, सर्वव्यापी, दीर्घकालिक रणनीति अपनाएगी। हम गुजरात एवं छत्तीसगढ़ के अपने सरकारों के अनुभवों का लाभ लेंगे जिन्होंने जनजातीय कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये हैं।

हम राष्ट्रीय स्तर पर 'वन–बंधु कल्याण योजना' 'जनजातीय विकास प्राधिकरण' की देख–रेख में शुरु करेंगे। यह कार्यक्रम निम्नलिखित कार्य करेगा :

1. नये विद्यालय/तथा महाविद्यालय के साथ–साथ अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल, पशु चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
2. गृह, जल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन किया जायगा।
3. जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा पक्की सड़कों का प्रावधान किया जाएगा।
4. कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण, फल उत्पादन आदि से संबंधित नये आर्थिक गतिविधि शुरु किये जाएंगे।
5. दुग्ध आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
6. बांस प्रसंस्करण एवं लघु उद्योग इकाईयों को बढ़ावा देकर नई रोजगार अवसरों को पैदा किया जाएगा।
7. जनजातीय भूमि को दूसरों के हाथ में जाने से रोका जाएगा।
8. लघु वन उत्पाद तक पहुंच की सुविधा तथा स्थानीय बाजार में तंत्र की स्थापना की जाएगी।
9. जनजातीय संस्कृति एवं भाषा की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना।
10. जनजातीय कल्याण एवं विकास के लिए समुचित राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक : वरिष्ठों की देखभाल एवं सम्मान

वरिष्ठ नागरिक सरकार और समाज दोनों के पूर्ण समर्थन के हकदार हैं। भाजपा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। वरिष्ठ नागरिक संबंधित विषयों के निपटारे के लिए सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग बनाया जाएगा। हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे :

1. वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले पेंशन तथा पेंशन नीतियां, जीवन निर्वाह की वास्तविक लागत के अनुरूप हो, इसकी समीक्षा की जाएगी
2. 60 वर्ष की आयु से अधिक सभी नागरिकों के लिए बचत की ऊंची ब्याज दर शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी।
3. यात्रा रियायतों को युक्तिसंगत बनाएगी।
4. एक स्वास्थ्य बीमा नीति शुरू करेगी जो वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध भेदभावपूर्ण न हो।
5. वरिष्ठ नागरिकों को आय कर लाभ 65 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की अवस्था में उपलब्ध कराया जाएगा।
6. वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा तथा इसको विस्तृत किया जाएगा।

विकलांगों की देखभाल : अन्य रूप से समर्थों का समेकन

विकलांग भारत की जनसंख्या का 5 प्रतिशत भाग हैं। वर्षों की उपेक्षा के कारण उनका समाज की मुख्यधारा में समेकन नहीं हो पाया है। उनका कल्याण तथा पुनर्वास एनडीए की कल्पना का संवेदनशील समाज एवं जबावदेह सरकार का अभिन्न अंग है। भाजपा निम्नलिखित कदम उठाएगी:

1. विकलांगों के लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को कार्यान्वित कर सुनिश्चित करना।
2. विकलांगों के आसान पहुंच में जन सुविधाओं, भवन तथा यातायात सुनिश्चित करना।
3. विकलांगों के लिए और अधिक आय उत्पादन मॉडल बनाकर उनका अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
4. प्रत्येक जिले में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी के माध्यम से विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रयास करना।
5. विकलांग बालक के गोद लेने पर विशेष सुविधा देना।
6. विकलांगों की देखभाल कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता करना।

अल्पसंख्यक समुदाय : विकास के लिए स्वस्थ्य कदम

भाजपा भारतीय समाज के साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन को पूरी तरह नकारती है जिसको कांग्रेस और वामदलों ने अपनी वोट बैंक राजनीति को पनपाने के लिए पोषित किया था। ''अल्पसंख्यकों'' के रूप में समुदायों के विभाजित करण से काल्पनिक भेद–भाव और पीड़ित–भाव की धारणा पनपती रहती है। यह धारणा ''अल्पसंख्यक'' पहचान को राष्ट्रीय पहचान से पृथक होने के बोध को मजबूत करती है। भाजपा एक साझी भारतीय पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है जिसमें प्रत्येक भारतीय सम्प्रदाय, जाति और लिंग की सीमाओं से परे हो और वह समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण में बराबर का भागीदार हो तथा उस समृद्धि का बराबर का लाभार्थी हो। किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुलवाद एक अनिवार्य तत्व है और भाजपा इस विविधता को अच्छा मानती है जो कि भारतीय समाज की मजबूती है और राष्ट्रीय तानेबाने को जीवंतता प्रदान करती है। किन्तु इस बहुलवाद के राष्ट्रीय संकल्प को सुदृढ़ करना चाहिए न कि कमजोर।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि देश के अविकसित एवं वंचित वर्ग के एक बहुत बड़े भाग में मुस्लिम आते हैं। इसका प्रमुख कारण यह तथ्य है कि कांग्रेस ने, जो कि पिछले छह दशकों में सत्ता में प्रबल भागीदार रही है,

भय की राजनीति करके अल्पसंख्यकों के समर्थन को खरीद लिया है। यूपीए ने उन्हें विकास की स्वस्थ खुराक नहीं पिलाई।

भाजपा **मुसलमानों** के बीच आधुनिक शिक्षा के व्यापक विस्तार की नीति को अमली रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है– विशेषतया स्कूलों के नये राष्ट्रव्यापी तंत्र के माध्यम से बालिकाओं में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के प्रति। भाजपा यह कार्य सार्वजनिक तथा प्राइवेट भागीदारी के कार्यक्रम के तहत करेगी। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित तो होंगे किन्तु यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होगी :

1. निम्न आय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बेसिक तथा तकनीकी शिक्षा दोनों के लिए नई शैक्षिक परियोजनाओं में पूंजीगत सहायता की जाएगी। प्रत्येक परियोजना को अधिकतम छह मास की अवधि के अन्दर विशेषज्ञों की टीम द्वारा जीवन क्षमता की समीक्षा की जाएगी।
2. बालिका की शिक्षा हेतु नकद प्रोत्साहन राशि देना जो उपस्थिति और निष्पादन पर आधारित होगी। उन बालिकाओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी जाएगी जो उच्चतर शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश पा जाती हैं।
3. देश के निर्धनतम 100 जिलों में निम्न आय वाले शहरी क्षेत्रों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से अनेक में अल्पसंख्यकों का बहुत ऊंचा अनुपात है।
4. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को, जो आजकल विषैली राजनीति का एक केन्द्र बना हुआ है, आर्थिक परियोजनाओं के हब के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा– विशेषतया उसका लक्ष्य रोजगारसृनन होगा। शिल्पकला और लघु उद्योगों जो अल्पसंख्यकों के परम्परागत रोजगार देनेवाले रहे हैं, पर विशेष बल दिया जाएगा। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की लापरवाही इस तथ्य से भी व्यक्त होती है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों हेतु आवंटित धन भी काफी हद तक, बिना खर्च किए हुए छोड़ दिया गया या पूरा धन खर्च नहीं किया गया।
5. युवा भविष्य के स्वामी होते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि उन्हें सामाजिक उत्थान हेतु एक गतिशील सामाजिक तथा आर्थिक इंजन के रूप में ढाला जाए। युवा केवल शहरों में ही नहीं रहते हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में युवतियां गरीबी के कारण दयनीय मजदूरी पर कार्य करने के लिए विवश होती हैं। जहां ऐसे काम धंधे मौजूद हैं वहां आय के स्तर बढ़ाने के लिए गतिशील हस्तक्षेप जरूरी है जहां ऐसे काम धंधे नहीं हैं वहां रोजगार के नए अवसर पैदा किया जाना जरूरी है। कुछ अल्पसंख्यक वर्गों में भ्रमपूर्ण वफादारी का दुर्भाग्यपूर्ण चरण अब समाप्त हो चुका है। आजाद भारत में अब ऐसी पीढ़ियों ने जन्म ले लिया है जो राष्ट्र के प्रति उतनी ही प्रतिबद्ध हैं जितना राष्ट्र उनके लिए। खेल, सिनेमा, उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों में **मुसलमानों** की वैयक्तिक तथा टीम खिलाड़ी के रूप में सफलता की गाथाएं प्रत्येक भारतीय में गर्व की भावना भर देती हैं।
6. आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वे अपने मजहब की नैतिक मर्यादाओं को तोड़कर बर्बरता में जा फंसते हैं।

आधुनिक भारत में भय का प्रतिपादन करने वालों या भय के नाम पर शोषण करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।

धर्मांतरण

विभिन्न समुदायों के मध्य सद्भावना एवं विश्वास बढ़ाने के लिए प्रमुख धर्माचार्यों के तत्वाधान में भाजपा एक स्थाई अंतर–पांथिक परामर्श तंत्र की स्थापना करेगी। यह तंत्र धर्मातंरण के साथ–साथ जीवन के सभी पहलुओं पर हिंदू तथा ईसाई समुदाय के नेताओं के मध्य गंभीर एवं ईमानदार अंतर–पांथिक संवाद स्थापित करने में उपयोगी होगा। यह संवाद मई 2006 में जेनेवा में आयोजित अंतर–पांथिक संवाद के पोंटिफिकल परिषद् की सर्वसम्मत प्रतिवेदन तथा चर्चों के जेनेवा स्थित विश्व परिषद् के भावनाओं के अनुरूप स्थापित किया जाएगा।

सबके लिए स्वास्थ्य : जनस्वास्थ्य, भारत की पूंजी

हमारे लोगों में से अधिकांश के लिए अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच अभी भी एक स्वप्न बनी हुई है। यह वास्तव में एक विडंबना ही है जबकि भारत चिकित्सा देखभाल का विदेशियों के लिए एक वैश्विक केन्द्र बनकर तेजी से उभर रहा है।

भाजपा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके तहत ''सबके लिए स्वास्थ्य'' योजना शुरू की जाएगी। यह योजना एक अभिनव बीमा पॉलिसी पर आधारित होगी। इसके अन्तर्गत बीपीएल परिवारों का प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा। लाभार्थी नगद रहित उपचार के लिए सरकारी तथा निजी अस्पतालों में जा सकेंगे।

हम 108 दूरभाष सेवा– आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के संबंधित– पूरे भारत में सर्वसुलभ 12 महीनों में कराएंगे।

कुपोषण के श्राप को खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। हम ऐसा राज्य सरकारों के सहयोग से दूरे देश विशेषकर अविकसित क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर तथा कुपोषण के विरुद्ध बहुआयामी युद्ध शुरु कर के करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

भाजपा निम्नलिखित के बारे में भी कार्रवाई शुरू करेगी :

1. गुणवत्तापूर्ण सेवायें, सस्ता शुल्क सुनिश्चित करने और अनाचार को रोकने/दंडित करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा विशेष चिकित्सा केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण स्थापित करना/ जबकि स्वास्थ्य की देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वागतयोग्य है, तो भी इसको लोगों की कीमत पर निर्बाध लाभ कमाने का स्रोत बनने नहीं दिया जा सकता।
2. राजग द्वारा देश के विभिन्न भागों में जिन छः अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु जिन पर संप्रग द्वारा अमल नहीं किया गया उनको स्थापित करने के काम को गति दी जाएगी। विशेषज्ञतापूर्ण चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अन्य स्थानों पर भी ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और बाल स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के वास्ते प्रोत्साहन/हतोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। मातृ तथा बाल मृत्युदर में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर जननी सुरक्षा योजना में सुधार किया जायेगा।

4. जननी सुरक्षा योजना में सुधार कर मातृ तथा शिशु मृत्युदर में भारी कमी करने के लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा। गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा इस संबंध में सफल पहल को एक आदर्श के रूप में उपयोग किया जाएगा।
5. रोगों के विरूद्ध टीका लगवाकर निवारक स्वास्थ्य सेवा तथा तत्संबंधी सूचना के प्रसार पर ध्यान दिया जाएगा।
6. सभी तरह के हेपेटाइटिस के विरूद्ध वयस्कों और बच्चों को टीका लगाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा।
7. आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए भारी निवेश किया जाएगा। चिकित्सा की यूनानी, होम्योपैथी एवं योग आदि पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ण समर्थन किया जाएगा। योग को बढ़ावा के लिए सभी सरकारी सहायता उपलब्ध होगी।
8. आम किन्तु प्रायः घातक रोगों से बचाव के लिए स्वच्छ पेय पानी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भाजपा का प्रस्ताव है कि सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पेय पानी की सुलभता मूल अधिकार बनाया जाए।

जनसंख्या स्थिरीकरण

भाजपा भारत के लोगों को समाज की उत्पादक परिसम्पत्ति मानती है। उनकी उत्पादकता को अधिकतम बढ़ाने के लिए उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा कौशल प्रदान किए जाने की जरूरत है जिसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की अपेक्षा है। यह भारत की जनसंख्या का स्थिरीकरण करने से ही संभव हो सकेगा। भाजपा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन प्राथमिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगी :

1 स्थाई विकास तथा जनसंख्या स्थिरीकरण के बीच निकट के संबंध को मानना।

2 जनसंख्या कार्यक्रमों को अन्य विकास पहलों– जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना।

3 जनसंख्या स्थिरीकण के लिए दबाव न डालने वाला तथा लिंग–संवेदी रवैया अपनाना

एक पृथ्वी, हरित पृथ्वी : उचित पर्यावरण का निर्माण

भाजपा राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों का स्थाई पारिस्थितिकीय (ईकॉलॉजिकल) मार्ग का अनुसरण करेगी जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं। हमारी मान्यता है कि जीवन तथा लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक ऊष्मन को रोकना जरूरी है। एक निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करके इस संकट का शमन करना 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आर्थिक अवसर है।

जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रारूप में निहित 'सामान्य परन्तु विशिष्ट दायित्वों' के सिद्धान्तों का समर्थन करती है। हम जलवायु परिवर्तन को रियो के बाद के हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तकनीकि हस्तान्तरण एवं अतिरिक्त वित्तीय वायदों के संदर्भ में देखते हैं जिसे पूरा नहीं किया गया। भाजपा सक्रिय रूप से ऐसे तकनीकों के हस्तांतरण के लिए जोर देगी जिससे कार्बन उत्सर्जन पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

भाजपा सत्ता में आने पर इसी को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य करेगी :

1. जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण को समुचित महत्व देना।

2. ऊर्जा दक्षता और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके ऊर्जा सुरक्षा तथा स्थाई ऊर्जा पद्धति को महत्व देना।
3. रासायनिक उर्वरकों से सब्सिडी को पूरी तरह हटाकर स्थानीय फसल किस्मों के संरक्षण और संवर्धन करने वाले किसानों को देना जिसके द्वारा स्थानीय कृषि–जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
4. पारंपरिक वर्षा सिंचित फसलों हेतु आकर्षक समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उनके लिए बाजारों की सुविधा बढ़ाना। इसके साथ ही विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे स्थानीय खाद्य के आधिक्य का इस्तेमाल हो सकेगा और इसे खाद्याभावग्रस्त लोगों में बांटा जा सकेगा। एक विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जलवायु के अधिक अनुकूल रहेगी क्योंकि इससे परिवहन तथा भंडारण की अतिरिक्त लागत समाप्त हो जाएगी।
5. वनों तथा रिजर्व पार्कों को संरक्षित करने हेतु कानूनों में परिवर्तन लाना ताकि उनके द्वारा अतिक्रमण और मानव–पशु टकराव को अधिक प्रभावी रूप से रोका जा सके। वन भूमि और पशु रिजर्वों के संरक्षण हेतु सभी संसाधन सुलभ कराए जाएंगे; जानते हुए वनों का विनाश और लाभ कमाने हेतु वन्य जंतुओं के शिकार के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।
6. बाघ, शेर और अन्य जंगली जंतुओं की सुरक्षा एवं बचाव के लिए एक स्थाई कार्यबल की स्थापना। हाथियों की सुरक्षा एवं बचाव का कार्य एक अन्य कार्यबल देखेगा। एक तीसरा कार्यबल पक्षियों की आश्रय स्थलों पर नजर रखेगा। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन्हें विधिसम्मत अधिकार दिए जाएंगे।
7. संस्थाओं और व्यक्तियों को ऊर्जा बचाने वाली युक्तियों और घरों तथा कार्यस्थलों के पर्यावरणानुकूल डिजाइनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा कम ऊर्जा, कम लागत वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए पूरा समर्थन दिया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य प्रेरित उद्देश्य निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा।
8. पर्यावरण को बचाने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय संबंधी मुद्दों को बच्चों में प्रोत्साहित करने में स्कूलों को शामिल किया जाएगा।
9. सभी नदियों को साफ करने के लिए एक मिशनरूपी रवैया अपनाना।
10. प्रत्येक वर्ष जन भागीदारी द्वारा पुनः वानिकी कृषि–वानिकी एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से एक करोड़ वृक्षारोपण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु करना।
11. उत्तर भारत के हिमालय के ग्लेशियर जहां से प्रमुख नदियां निकलती हैं उनके संरक्षण कार्यक्रमों को महत्व दिया जाएगा।

प्रशासनिक मुद्दे और केन्द्र–राज्य सम्बंध : हम सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भाजपा एक मंत्रि–समूह का गठन करेगी और इसकी अनुशंसाओं को छह मास के अन्दर प्रस्तुत करेगी। इसके द्वारा सरकार की निर्णय–प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार में किसी भी स्तर पर पाए जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ तेजी से निपटा जाएगा।

भाजपा परामर्श–प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्र राज्य संबंधों को समान स्तर पर लाएगी। राज्यों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यापक रूप में कार्रवाई की जाएगी। मृतप्राय राष्ट्रीय विकास परिषद को पुनर्जीवित किया जाएगा और सक्रिय बनाया जाएगा।

जहां लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने और अधिकारियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के हर प्रयास किए जाएंगे, वही अलगाववादी तथा विद्रोही समूहों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

जम्मू–कश्मीर

जम्मू–कश्मीर भारत संघ का अभिन्न भाग था, है और रहेगा। इसकी स्थिति पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और जैसा कि उत्तरोत्तर चुनावों ने पूर्ण रूप से दर्शा दिया है, जम्मू–कश्मीर के लोग स्वयं को भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा मानते हैं।

जम्मू–कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करते समय भाजपा निम्नलिखित सिद्धांतों से निर्देशित होगी :

1. भारत की क्षेत्रीय अखंडता अनुल्लंघनीय है। 1994 का सर्वसम्मत संसदीय संकल्प इस बिंदु को दोहराता है और वही हमारी सरकार के भावी निर्णय तथा कार्रवाइयों का आधार बना रहेगा।
2. जम्मू–कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा इस राज्य के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा इसके तीनों क्षेत्रों–जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख के समान विकास के एजेंडे को मजबूती प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहित सभी तरह का समर्थन राज्य सरकार को प्रदान किया जाएगा।
3. कश्मीरी पंडित सहित सभी विस्थापितों, जिनको अलगाववादी हिंसा और आतंकवाद के कारण अपना घर–चूल्हा तक छोड़ना पड़ा था, वे सभी तरह के सहयोग और समर्थन के अधिकारी हैं, जो उन्हें भरपूर प्रदान किया जाएगा। उनकी अपने पूर्वजों की भूमि पर ससम्मान वापसी, सुरक्षा और जीविका–आश्वस्ति को भाजपा के एजेन्डे में प्राथमिक स्थान प्राप्त होगा।
4. पाकिस्तान अधिगृहीत काश्मीर से आए शरणार्थियों के लम्बे समय से लम्बित मांग एवं समस्याओं का निवारण करना।
5. अनुच्छेद 370 सदैव से ही राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जम्मू–कश्मीर के लोगों के पूर्ण एकीकरण में मनोवैज्ञानिक बाधा बना हुआ है। भाजपा इस अनुच्छेद को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

छोटे राज्य

भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के गठन की पक्षधर है। इसी कारण विगत 1999–2004 के एनडीए के शासनकाल में झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे तीन छोटे राज्यों का गठन किया गया। सुशासन एवं सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी भाजपा छोटे राज्यों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

अपनी नीतियों के अनुरूप भाजपा तेलंगाना का भारतीय संघ में एक पृथक राज्य के रूप में स्थापना का समर्थन करती है।

भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग जिला और दुर्वास क्षेत्र के गोरखा, आदिवासी एवं अन्य लोगों की दीर्घकालीन लम्बित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा एवं सम्यक विचार करेगी।

पूर्वोत्तर

घटिया शासन पद्धति, भ्रष्टाचार और विद्रोही गतिविधियों के परिणामस्वरूप भरपूर संसाधनों वाले पूर्वोत्तर राज्य पिछड़ रहे हैं। नई दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच की भौतिक दूरी ने इस मनोवैज्ञानिक फासले को और अधिक बढ़ाने में योगदान किया है। राजग शासन के दौरान केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास के एजेंडे को बढ़ाने हेतु सक्रियतापूर्वक कार्य किया था। सत्ता में लौटने पर भाजपा प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के कल्याण के लिए उसी तरह की बल्कि उससे भी अधिक ठोस एजेंडे पर अमल करेगी और क्षेत्र के द्रुत विकास हेतु कदम उठाएगी। ऐसा करते समय भाजपा निम्नलिखित पहल करेगीः

1. असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से होने वाले अवैध आप्रवासन के ज्वार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम को और बिना किसी विलंब के पूरा किया जाएगा। अवैध आप्रवासियों की खोज करने और उनको निर्वासित करने के काम को मॉनीटर करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा।
2. विद्रोही गिरोहों से सख्ती से निपटा जाएगा। उसी के साथ–साथ युवाओं की शिकायतों की पहचान करके उनका समाधान किया जाएगा।
3. देशज प्रजाति समूहों की भूमि और संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा।
4. असम में बाढ़ नियंत्रण तथा नदी जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
5. भूमि विकास, कृषि और सहवर्गीय कार्यकलाप, आवास निर्माण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्संबंध और सिंचाई के लिए समुचित संसाधन आवंटित किए जाएंगे।
6. अभियांत्रिकी और चिकित्सा विज्ञान में उच्च शिक्षा की नई संस्थाए खोली जाएंगी।
7. बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए रोजगार सृजन करने वाली योजनाएं; जो विशेषतया सेवा क्षेत्र में होंगी; प्रारंभ की जाएंगी। ताकि बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। पर्यटन तथा परंपरागत कथा आधारित उद्योगों को भारी बढ़ावा दिया जाएगा।
8. पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य एवं इनके साथ सम्पर्क पर विशेष जोर दिया जाएगा।

पर्वतीय तथा रेगिस्तानी राज्य

भाजपा पर्वतीय तथा रेगिस्तानी राज्यों की विशेष जरूरतों एवं समस्याओं को समझती है। इन राज्यों के साथ वार्ता कर एक राज्य केन्द्रित विकास परक मॉडल विकसित किया जाएगा ताकि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

संघ शासित राज्य

इनकी विशेष परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में संघ शासित राज्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम संघ शासित राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत एवं इनका विकास करने पर जोर देंगे। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

जनजातीय कल्याण एवं अधिकार पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आधारभूत संरचना एवं तटीय क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

अंडमान–निकोबार एवं लक्ष्यद्वीप

हमारे द्वीप क्षेत्रों के समेकित विकास एवं सुरक्षा के लिए भाजपा कृतसंकल्प है।

न्यायिक सुधार

न्यायाधीशों की नियुक्ति, विवादों के ढेर तथा न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर अन्य समस्याओं से निपटने के लिए भाजपा न्यायिक सुधार हेतु पहल करेगी।

इसके लिए भाजपा निम्नलिखित कदम उठाएगीः

1. राष्ट्रीय न्याय आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा प्रतिभा निर्धारण के लिए निष्पक्ष मानक के लिए निर्देश लागू किया जाएगा।
2. पांच वर्षों में अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक क्षमता तथा न्यायालयों की संख्या दोगुनी की जाएगी।
3. न्यायालयों के भौतिक एवं कार्यगत आधारभूत संरचना में सुधार के लिए न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए कोष की स्थापना की जाएगी।
4. कांट्रेक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तथा अन्य व्यापारिक कानूनों से संबंधित विवादों के लिए पृथक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये त्वरित न्याय देंगे तथा इस पर होने वाले खर्च का वहन आंशिक रूप से दोनो पक्षों से फास्ट–ट्रैक शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
5. न्याय प्रक्रिया को त्वरित, सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए 'मलिमाथ समिति रिपोर्ट' के आधार पर आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।
6. न्यायालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पूरे देश के न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर एक–दूसरे से जोड़ा जाएगा।
7. न्यायपालिका के सभी स्तरों पर फास्ट–ट्रैक न्यायालयों का विस्तार किया जाएगा।
8. लोक अदालतों एवं ट्रिब्यूनलों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विस्तारण किया जाएगा।
9. आपराधिक अथवा दीवानी मुकदमों में लगने वाले समय को कैसे आधा किया जाये–इस संबंध में सुझाव देने हेतु छह महीनों के अंदर न्यायिक प्रक्रिया सुधार समिति नियुक्त किया जाएगा।
10. अगले तीन वर्षों में ऐसे विवादों को आधा करना जिनमें सरकार एक पक्ष हो।

चुनाव सुधार

विधानसभाओं एवं लोकसभा चुनावों को साथ–साथ कराने की व्यवस्था को भाजपा अन्य दलों से विचार विमर्श करते हुए विकसित करेगी। सरकार तथा राजनीतिक दलों के व्यय को कम करने के साथ–साथ यह राज्य सरकारों में एक निश्चित स्थायित्व भी लायेगी।

पंचायती–राज संस्था

ग्रास रूट स्तर तक स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए भाजपा पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करेगी। इसके लिए भाजपा निम्नलिखित कदम उठाएगी:

1. पंचायती राज संस्थानों तथा स्थानीय शहरी संस्थानों के कोष, कार्यशीलता एवं अधिकारी संबंधित प्रभावी आर्थिक एवं प्रशासनिक सशक्तिकरण के लिए कार्य होगा। संविधान में संशोधन कर और अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
2. विकास परियोजनाओं, राशि के आवंटन एवं व्यय लेखा–जोखा तथा चुने हुए एवं सरकारी अधिकारियों के कार्यकलापों के आकलन पर पूर्ण विचार–विमर्श को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा संस्थानों को मजबूत किया जाएगा।

हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण

रामसेतु

रामसेतु हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। करोड़ों लोग इसका दर्शन करना चाहते हैं। इसको सांस्कृतिक पर्यटन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। करोड़ों लोगों के लिए यह तीर्थस्थल है।

रामसेतु की रक्षा करना विशाल थोरियम भंडारों की रक्षा करने के समान है जो हमारी ऊर्जा के भावी स्रोत हैं। थोरियम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चत करेगी। अतः भाजपा प्रस्तावित ''सेतु समुद्रम चैनल प्रोजेक्ट'' के लिए एक वैकल्पिक एलायनमेंट का पता लगाएगी।

राममंदिर

भारत के लोगों और विदेशों में बसे भारतीयों की यह उत्कट इच्छा है कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर का निर्माण हो। अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण को सुगम बनाने हेतु भाजपा वार्ता, न्यायिक प्रक्रिया समेत सभी संभावनाओं पर कार्य करेगी।

गंगा

भारतीय मानस में गंगा का एक विशिष्ट स्थान है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी गंगा की पूरी तरह उपेक्षा की गई। यह दयनीय है कि स्वतंत्रता के छह दशकों के बाद भी गंगा पूरी तरह प्रदूषित और मरणासन्न बनी हुई है। भाजपा गंगा की स्वच्छता, शुद्धता और अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित करेगी तथा इस बारे में सभी विधिक व प्रशासनिक उपाय करेगी। इसके लिए आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएगी।

स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के साथ एक व्यापक ''नदी सफाई कार्यक्रम'' चलाया जाएगा।

गाय एवं गोवंश

उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के हाल के निर्णय तथा संविधान में वर्णित राज्य के दिशा निर्देशक तत्व की दृष्टि से गाय और इसकी वंशावली को प्रोत्साहित तथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।

अपने देश की कृषि, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में गाय तथा इसकी वंशावली के योगदान को देखते हुए गाय, इसकी वंशावली के संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु पशुपालन विभाग को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाया जाएगा। देशी पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय पशु विकास समिति का गठन किया जाएगा।

मठ और मंदिर

भाजपा मठों और मंदिरों के प्रशासन में स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी।

ये संस्थाएं भारतीय समाज का हृदय स्थल हैं तथा धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन और परम्पराओं का केन्द्र रही हैं। समाज ने मठों और मंदिरों को भारी संपत्तियां दान स्वरूप दी हैं ताकि वे अपना धार्मिक सांस्कृतिक क्रिया–कलाप व सर्वहितार्थ सेवा परियोजनाएं चला सकें। ऐसी संस्थाओं का प्रबंधन सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहना चाहिए और इन संस्थाओं के अनुयायियों तथा भक्तों द्वारा गठित स्वायत्त निकायों को सौंप दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा निर्मित किया जाएगा।

सभी धार्मिक क्रिया–कलापों को उचित कर सुविधा के साथ धर्मस्व–कार्य माना जाएगा। धार्मिक संगठनों का सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद को निष्कंटक बनाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

सभी मतों के तीर्थ स्थलों के आधारभूत संरचना तथा सुविधा में सुधार तथा सुंदरीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरु किया जाएगा।

वक्फ संपत्तियां

राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री के. रहमान खान के नेतृत्व में गठित वक्फ संपत्तियों से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों की भाजपा समीक्षा करेगी और मुस्लिम मजहबी नेताओं के परामर्श से वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी।

विरासत स्थल

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राष्ट्र के सभी विरासत स्थलों के रखरखाव और उनके हर तरह के विरुपन को रोकने के लिए समुचित संसाधन जुटाए जाएंगे।

भाषाएं

भारतीय भाषाएं अपने समृद्ध साहित्य, इतिहास, संस्कृति, कला और वैज्ञानिक उपलब्धियों का संचित कोष हैं। हमारी कई बोलियां अपने विरासत को जानने के अमूल्य स्रोत हैं। संस्कृत और तमिल ने इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान किया है। भाजपा उर्दू सहित सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देगी और समुचित संसाधन जुटाकर भारत में प्रचलित सभी भाषाओं व बोलियों के विकास के उपाय करेगी ताकि वे एक सुधी समाज के सृजन का सशक्त वाहन बन सकें।